भारत सरकार

मुख्य सचिवों का तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन

National Conference of Chief Secretaries

----------जीवनयापन की सुगमता----------

स्कूल शिक्षा : पहुँच और गुणवत्ता

27-29 दिसंबर 2023, नई दिल्ली। 27-29 December 2023, New Delhi

प्राक्कथन

तेजी से बदलते हुए विश्व में, शिक्षा व्यक्तिगत विकास, सामाजिक प्रगति और वैश्विक विकास की आधारशिला है। भारत का लक्ष्य 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए मजबूत बुनियादी और जीवन कौशल के साथ किसी भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले, आजीवन सीखने वाले शिक्षार्थियों को तैयार करने में वैश्विक अग्रदूत बनना है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने शैक्षिक परिदृश्य में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से आकांक्षाओं और बहुआयामी उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की है। **स्कूल शिक्षा की सुगमता** इस निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य का एक अनिवार्य आयाम है। जैसे-जैसे हम इस खोज यात्रा पर आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा को सभी के लिए अधिक सुलभ, समावेशी, समान और सहज कैसे बनाया जा सकता है, हम स्वयं को इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण में पाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो भारत में शिक्षा के लिए एक मूलभूत रूपरेखा के रूप में कार्य करती है, में पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही को भी प्राथमिकता दी गई है। एनईपी 2020 एक पथ प्रदर्शक नीति बन गई है जो अंतिम छोर तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करती है। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय शिक्षा की यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुकरणीय प्रयासों से, छात्रों के अधिगम परिणामों, समग्र स्कूल विकास और अध्यापकों के व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए कई पहलों के माध्यम से एनईपी 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन हुआ है।

इन प्रयासों को जारी रखते हुए, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में 'सुशासन और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जीवनयापन की सुगमता को बढ़ावा देना' की पहचान एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में की गई है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने "स्कूल शिक्षा की सुगमता" की परिकल्पना की है जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, सेवा वितरण में आसानी और अभिनव शासन तंत्र के अवसर पैदा करके स्कूल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारक सक्षम बन सकेंगे। स्कूल शिक्षा की सुगमता केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि या परिस्थिति से आता हो, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने, आजीवन सीखने की भावना को बढ़ावा देने और भावी नवप्रवर्तकों और मार्गदर्शकों को प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त हो।

यह पृष्ठभूमि नोट इस कार्रवाई हेतु एक आह्वान है, एक अनुस्मारक है कि स्कूल शिक्षा की सुगमता की ओर यात्रा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और उज्ज्जवल भविष्य में एक निवेश है। हम उस संभावित प्रौद्योगिकीय प्रगति पर और अधिक ध्यान देंगे जिससे ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हो सकता है, दुनिया में कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सकता है और सेवा वितरण को आसान बनाया जा सकता है। जैसे-जैसे आप पृष्ठभूमि नोट को आगे पढ़ते जाएंगे, आप शिक्षा की सीमाओं को पार करने वालों की कहानियों से प्रेरित होंगे, और आप इस बात पर विचार करेंगे कि कैसे सभी हितधारक भी स्कूल शिक्षा को सभी के लिए अधिक सुलभ, समावेशी और समृद्ध अनुभव में विकसित करने में योगदान दे सकते हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से शिक्षा को आसान बनाने की चुनौती और अवसर को स्वीकार करेगा और इसे प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से हम एक ऐसे विश्व का सृजन करेंगे जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और सीखने का कोई दायरा नहीं है।

(संजय कुमार)

विषय सूची

प्राक्कथन

विषय सूची

अनुलग्नकों की सूची

संक्षिप्त रूप

सारांश

1. परिचय
2. वर्तमान परिस्थितियाँ
3. चुनौतियाँ
4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से पहुंच के लिए उभरते समाधान
5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से सेवा वितरण के लिए उभरते समाधान
6. प्राथमिकता क्षेत्र
7. भावी पथ
8. अन्य विभागों/मंत्रालयों से अपेक्षित सहायता
9. निष्कर्ष

संक्षिप्त रूप

एबीसी	अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
एएचएसईसी	असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद
एपीएएआर	स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री
बीईओ	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
बीएसई	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीएसओ	सिविल सोसाइटी संगठन
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
डीआईईटी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
डीओएसईएल/ डीओएसई एंड एल	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
ईसीसीई	प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा
ईवाईएस	स्कूल शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष
जी2सी	सरकार से नागरिक (तक)
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईडी	पहचान
इग्नू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीईपी	एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम
केविसं	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओई	शिक्षा मंत्रालय
एनएएस	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफ एफएस	बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
एनसीटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
एनडीईएआर	राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला

एनईपी 2020	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
एनआईओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
निष्ठा	स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई आयोग	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग
एन एम एम	नेशनल मेंटरिंग मिशन
एनपीएसटी	शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
एनवीएस	नवोदय विद्यालय समिति
ओओएससी	स्कूल न जाने वाले बच्चे
परख	समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण
पीएम पोषण	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण
पीएम श्री	प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया
प्रबंध	परियोजना मूल्यांकन, बजट सहायता, उपलब्धियां और डाटा प्रबंधन
आरआईई	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
सफल	संरचित अधिगम विश्लेषण मूल्यांकन
सार्थक	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति
एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसईए	राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण
एसआईओएस	राज्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
एसपीडी	राज्य परियोजना निदेशक
एसटीएआरएस	राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण
एसक्यूएएफ	स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन रूपरेखा
टीएनए	शिक्षक आवश्यकता विश्लेषण
यूडीआईएसई+	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वीएसके	विद्या समीक्षा केंद्र

सारांश

भारतीय शिक्षा प्रणाली में 14.66 लाख स्कूल, 25.18 करोड़ छात्र और 94.83 लाख शिक्षक शामिल हैं, जिनमें छात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के सिद्धांतों के आधार पर, हमारी सामूहिक आकांक्षा "मजबूत बुनियादी और आजीवन कौशल युक्त ऐसे शिक्षार्थियों को विकसित करने में एक वैश्विक अग्रदूत बनना है, जो 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हों, फिर चाहे वह शिक्षार्थी किसी भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो।"

मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डी ओ एस ई एंडएल) 'स्कूल शिक्षा की सुगमता' पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका संदर्भ सामूहिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। पीएम श्री विद्या समीक्षा केंद्र; पीएम ई-विद्या, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता-आधारित मूल्यांकन शिक्षकों के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन जैसी पहलें एनईपी, 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में परिणत होंगी।

जहां स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने कई पहलें शुरू की हैं, व्यापक परामर्श से प्राप्त परिज्ञान के माध्यम से महत्वपूर्ण समाधान सामने आए हैं। ये समाधान गुणवत्तायुक्त समावेशी परिवेश बनाकर, स्कूलों को समेकित करके जटिलताओं को कम करते हुए, पहुंच में सुधार और इस प्रकार जीईआर में सुधार की दिशा में सुझाए गए हैं। इसके अलावा, तर्कसंगत रूप से शिक्षकों की तैनाती, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को बढ़ाकर, छात्रों के लिए एक अद्वितीय एपीएएआर आईडी द्वारा प्रवेश और परीक्षा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार का लक्ष्य प्राप्त होगा। हमारे प्रयासों से हम न केवल अधिगम परिणामों को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि एक आनंददायक अधिगम अनुभव भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ, वीएसके और एपीएएआर आईडी को एकीकृत करने से आजीवन अधिगम यात्रा की निगरानी करने में मदद मिलेगी। इससे शैक्षिक रिकॉर्डों के भंडारण और उन तक पहुंच को सरल बनाने वाली एक डिजिटल रिपॉजिटरी तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। अंतम: आधार को जोड़ने से डिजिटल रिकॉर्ड अधिक विश्वसनीय होंगे और हितधारकों को विविध शैक्षिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में सशक्त बनाएंगे।

इस दिशा में, केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच तालमेल न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत को ऐसे भविष्य की ओर ले जाने वाला उत्प्रेरक है, जहां शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक उन्नति की आधारशिला बन जाती है, जिससे सामूहिक समृद्धि और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।

1. परिचय

1.1 विषय:

1.1.1 भारतीय शिक्षा प्रणाली एक वैश्विक प्रकाशस्तंभ के रूप में उभरी है, जो दुनिया में सबसे बड़े शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का दावा करती है, जिसमें लगभग 14.66 लाख स्कूल, 25.18 करोड़ छात्र और 94.83 लाख शिक्षक शामिल हैं। इस विशाल प्रणाली के केंद्र में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उप-विषय 'स्कूलिंग' पर केंद्रित यह पृष्ठभूमि नोट शैक्षिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और छात्रों तथा अभिभावकों के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बिना सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों एवं जिलों सहित विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के समर्पण का एक प्रमाण है।

1.2 मुख्य सचिवों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन की पृष्ठभूमि:

1.2.1 भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 एक व्यापक और महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। देश में शिक्षा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप, यह समग्र विकास, गुणवत्ता और पहुंच पर बल देती है। यह नीति 21वीं सदी के लिए एक गतिशील और समावेशी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करते हुए पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, शिक्षक प्रशिक्षण और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए समाधान प्रदान करती है।

चित्र 1: 15-17 जून को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन

1.2.2 जून, 2022 में मुख्य सचिवों के शुरूआती सम्मेलन में एनईपी 2020 को लागू करने पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) ने तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों: एनईपी स्कूल - स्कूल शिक्षा तक पहुंच में सुधार, एनईपी शिक्षक - शिक्षक ट्रांसफॉर्मर के रूप में, और एनईपी चाइल्ड - भविष्य की तैयारी हेतु सुदृढ़ आधार को कवर करते हुए एक विस्तृत अवधारणा नोट प्रस्तुत किया। जनवरी में पूर्व सम्मेलन में पहले चर्चा किए गए कार्रवाई योग्य बिंदुओं की प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जिसका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच और किफायती अवसर थे।

क. सभी स्तरों पर जीईआर में सुधार: सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सभी स्तरों पर विशेष रूप से ग्रेड 8 के बाद ड्रॉपआउट का निराकरण करते हुए सुधार करने के प्रयास किए गए हैं। 12.53 लाख स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की पहचान करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने से राष्ट्रीय प्राथमिक स्तर का जीईआर 99.1 से बढ़कर 100.1 हो गया और उच्चतर माध्यमिक स्तर का जीईआर 53.8 से बढ़कर 57.6 हो गया। इस मुद्दे के समाधान हेतु विशेष प्रशिक्षण और पुन: एकीकरण पहल के लिए बजट आवंटित किया गया था, जिसमें 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रारंभिक स्तर पर 100% से अधिक जीईआर प्राप्त किया था।

ख. अवसंरचनात्मक उन्नयन: स्कूल तक पहुंच हेतु अवसंरचनात्मक उन्नयन को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कूल भवनों की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें जेंडर आधारित-पृथक शौचालय, रैंप, पीने का पानी, खेल, पुस्तकालय एवं बिजली जैसी सुविधाएं शामिल थीं। स्कूलों के कायाकल्प के लिए समग्र शिक्षा के तहत अतिरिक्त निधियां आवंटित की गईं और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। केवल 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, लक्षद्वीप में 100% जेंडर आधारित पृथक शौचालय हैं।

ग. बाल ट्रैकिंग: शिक्षा मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों के सहयोग से, छात्रों की शुरू से अंत तक ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए छात्र, शिक्षक और स्कूल रजिस्ट्री विकसित कर रहा है ताकि डिज़ाइन की गई पहलें वास्तविक समय डेटा और तथ्यों पर आधारित हों। वर्तमान में, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्र, शिक्षक और स्कूल रजिस्ट्री के लिए आईटी पोर्टल हैं, जिनमें 21.5 करोड़ (82.80%) छात्र एमआईएस सिस्टम में पंजीकृत हैं। सत्रह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने छात्र रजिस्ट्रियां स्थापित की हैं, पांच आंशिक रूप से पूरी हो चुकी हैं, और शेष 14 विकास चरण में हैं।

घ. विद्या समीक्षा केंद्र: मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणामस्वरूप अधिगम के परिणामों में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए डाटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) की स्थापना की जा रही है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वीएसके सेटअप के लिए 5 करोड़ रुपये (राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के आकार के आधार पर) तक की मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 108 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। वीएसके राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी, सीबीएसई और बारह राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) में कार्यात्मक हैं। एमओई के स्वायत्त निकाय भी अपने संस्थानों में वीएसके स्थापित कर रहे हैं, वर्तमान में 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वीएसके सेटअप का काम चल रहा है।

1.2.3 जैसे-जैसे शिक्षा प्रणाली विकसित होती है, विभाग बच्चे के लिए एक विशिष्ट एपीएएआर आईडी बनाकर, इसे आधार से जोड़कर और वीएसके, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), और यूडाइज़+ के साथ एकीकृत करके छात्र प्रवेश को स्वचालित करने का सुझाव देता है। इस स्वचालन पहल का उद्देश्य परिवर्ती चरणों के दौरान ड्रॉपआउट दर को कम करना और सतत शिक्षा के अवसरों को प्रोत्साहित करना है। कुल मिलाकर, ये प्रयास भारत में सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।

1.2.4 सम्मेलन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना का निष्पादन और निगरानी की गई, जिससे सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई, बारह राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना हुई, स्कूल तैयारी मॉड्यूल, 37,368 स्कूलों में व्यावसायिक प्रदर्शन से 17,05,277 छात्रों को लाभ हुआ, व्यापक समीक्षा और निष्ठा के माध्यम से विस्तारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए। इसके अलावा कई राज्यों ने अन्य उपलब्धियों के साथ-साथ बहुभाषी ई-सामग्री भी विकसित की है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन अब 'सुशासन और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जीवन सुगमता को बढ़ावा देने' पर केंद्रित है, जिसमें उप-विषय "स्कूल शिक्षा को सुगम बनाने" के तहत छात्र पहुंच और सेवा वितरण को बढ़ाने पर बल दिया गया है। वर्ष 2022 की आधारशिला पर निर्माण करते हुए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आगे के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देता है।

1.3 मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय

1.3.1 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) एक पारदर्शी, कुशल, सुलभ और प्रभावी शैक्षिक वातावरण की परिकल्पना करता है। 'स्कूल शिक्षा की सुगमता' को प्राथमिकता देते हुए, विभाग अधिगम के परिणाम प्राप्त करने, कक्षा में शिक्षा वितरण को सुदृढ़ करने, तकनीकी मूलभूत ढांचे को बढ़ाने और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार-से-नागरिक (जी2सी) तक सेवाओं को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

1.3.2 समसामयिक परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए, विभाग स्वीकार करता है कि स्कूली शिक्षा पारंपरिक कक्षाओं से आगे बढ़कर एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित होती है। इस परिवर्तन के लिए छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा और जीवनयापन में सुगमता को प्राथमिकता देने के लिए माता-पिता, शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय अपेक्षित है।

1.3.3 विभाग तकनीक-संचालित, समग्र शैक्षिक यात्रा के लिए तत्पर है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त निकायों और हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए यह स्कूल शिक्षा सेवाओं को सक्रिय रूप से सरलीकृत बनाता है, डिजिटलीकरण और सुव्यवस्थित करता है, जिसका लक्ष्य प्रमाणपत्रों तक

उपयोगकर्ता की अनुकूल पहुंच और शैक्षिक चरणों के बीच निर्बाध बदलाव लाना है। यह सहयोगी तालमेल जवाबदेही को प्रोत्साहन देता है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ाता है।

1.3.4 सेवाओं, विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं तक पहुंच पर बल देते हुए, निरंतर निगरानी, मूल्यांकन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना "स्कूल शिक्षा की सुगमता" के लिए सर्वोपरि हो जाता है। प्रदर्शन मूल्यांकन चार प्रमुख संकेतकों पर आधारित है।

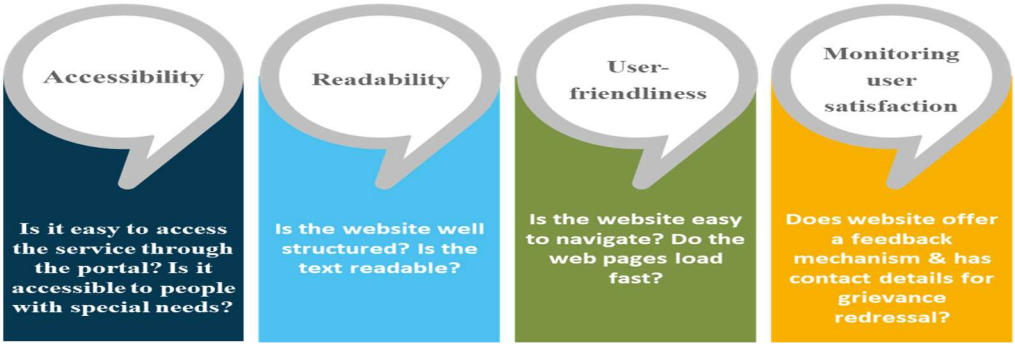

चित्र 2: सेवाओं के मूल्यांकन के लिए संकेतक

1.3.5 स्कूल शिक्षा के संदर्भ में 'जीवन को सुगम बनाने' का तात्पर्य एक सहायक शिक्षण वातावरण स्थापित करना है जो शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक उत्कर्ष को बढ़ावा देता है। इसमें एक सुरक्षित, समावेशी और स्वागत योग्य माहौल तैयार करना, छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करना तथा एक आनंददायक अधिगम का अनुभव सृजित करना शामिल है।

1.3.6 इस दृष्टिकोण के अनुरूप, एनईपी 2020 गुणवत्तापूर्ण मूलभूत ढांचे, नवीन शैक्षणिक प्रथाओं और एक इष्टतम छात्र-शिक्षक अनुपात के माध्यम से एक सुखद अधिगम के अनुभव को प्राथमिकता देता है। यह नीति क्षमता निर्माण में तेजी लाने, भागीदारी और जुड़ाव बढ़ाने तथा संसाधन पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देती है। यह समान पहुंच के साथ एक अद्वितीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने की आकांक्षा रखता है, जो न केवल संज्ञानात्मक विकास पर बल्कि चरित्र निर्माण और समग्र कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है। एनईपी 2020 स्कूल शिक्षा स्तरों पर व्यापक सुधारों का समर्थन करती है, जिसमें पाठ्यक्रम परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली में बदलाव, शिक्षक प्रशिक्षण संवर्द्धन और नियामक ढांचे का पुनर्गठन शामिल है। भारत की परंपरा, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित एक शिक्षा प्रणाली बनाना अंतिम लक्ष्य है, जो 21वीं सदी के वैश्विक नागरिकों को वास्तविक अधिगम के परिणामों के साथ पोषित करे।

1.4 मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

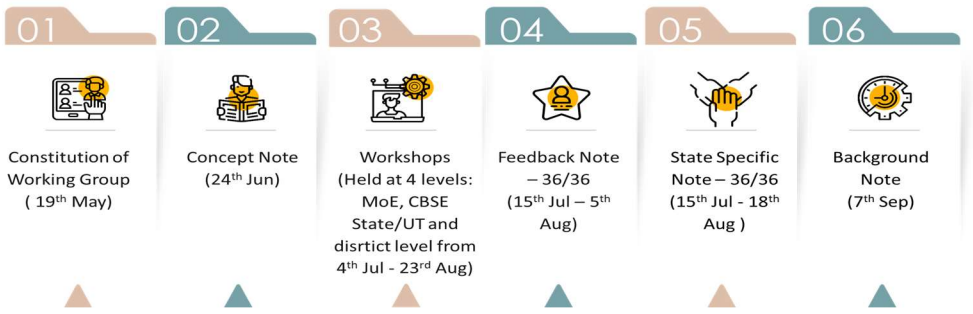

चित्र 3: पृष्ठभूमि नोट का रोडमैप

1.4.1 "जीवनयापन की सुगमता" के उद्देश्यों की खोज में, विभिन्न स्तरों पर परामर्श और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला हुई, जिसका विवरण चित्र 3 में दिया गया है। विशेष रूप से, 12 जुलाई, 2023 को दिल्ली में 150+ प्रतिभागियों के साथ एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला बुलाई गई। 27 जुलाई, 2 अगस्त और 8 अगस्त, 2023 को आभासी समन्वय बैठकों ने "स्कूल शिक्षा को सुगम बनाने" के विषय पर बल देते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ तालमेल की सुविधा प्रदान की। एमओई वर्किंग ग्रुप के साथ आंतरिक चर्चा 23 अगस्त, 2023 को हुई। सत्रह परामर्शों में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रिंसिपल, अभिभावक, सीएसओ और विशेषज्ञ शामिल थे। जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है, उप-विषयों में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 3058 अधिकारियों ने योगदान दिया है। व्यापक जिला-स्तरीय आउटरीच में 400 से अधिक परामर्श शामिल हैं (अनुलग्नक III देखें)।

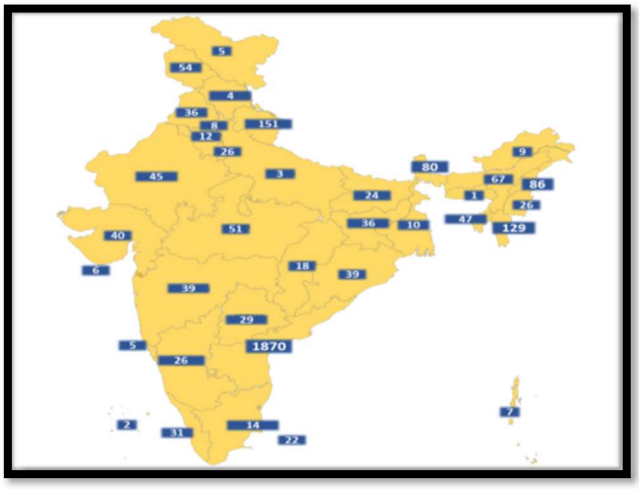

चित्र 4: प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से उन अधिकारियों की संख्या जिन्होंने फीडबैक नोट साझा किए हैं।

2. वर्तमान परिस्थितियाँ

2.1 शिक्षा: छात्रों और नागरिकों को सशक्त बनाना

2.1.1 भारत की स्कूल शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष (ईवाईएस) वर्तमान में 12.8 वर्ष हैं, जिनके 18 वर्ष तक पहुंचने की संभावना है, जो कई विकसित देशों द्वारा हासिल किया गया एक बेंचमार्क है। विश्व बैंक के शोध से संकेत मिलता है कि शिक्षा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष में उत्पादकता में 10% की वृद्धि हो सकती है और यूनिसेफ के निष्कर्ष में स्कूल शिक्षा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 0.37% की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। ईवाईएस को 18 वर्ष तक बढ़ाने से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का योगदान हो सकता है, जो वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का 1.85% है। शिक्षा पर सरकारी व्यय में वृद्धि देखी गई है, जो 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% तक पहुंच गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचने वाले छात्रों का प्रतिशत 2012 में 32.8% से बढ़कर 2020 में 64% हो गया है, जो शिक्षा निवेश के माध्यम से संभावित आर्थिक विकास का संकेत देता है।

2.1.2 छात्रों को 21वीं सदी के वैश्विक नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाना शैक्षिक मिशन के मूल में है। सार्वभौमिक रूप से सुलभ, शीर्ष स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता का उद्देश्य भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की पूरी क्षमता का दोहन करना है। 21वीं सदी के जीवन कौशल विकसित करने, आजीवन अधिगम की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने और रोजगार हेतु तैयार कौशल के माध्यम से आर्थिक संभावनाएं पैदा करने पर बल दिया गया है। लक्ष्य, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य, कल्याण और निर्णय लेने की नींव रखते हुए, भली-भांति सूचित विकल्प बनाना है। यह दृष्टिकोण शिक्षा से परे एक अधिक न्यायपूर्ण, समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज में योगदान देने वाले व्यक्तियों के समग्र विकास तक फैला हुआ है।

2.1.3 समर्थन, वित्त पोषण और निगरानी की इस व्यापक प्रणाली के माध्यम से, हम देश के भविष्य के लिए एक गतिशील और समावेशी शिक्षा परिदृश्य को बढ़ावा देने, एनईपी 2020 के मिशन और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं।

2.2 शिक्षा प्रणाली के हितधारकों की अपेक्षाएँ

2.2.1 शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय जैसे हितधारकों की अपेक्षाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और

न्यायसंगत पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है, जो संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल के विकास पर बल देता है। एनईपी 2020 सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के साथ संरेखित करते हुए पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य भारत के शैक्षिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे स्कूल और कॉलेज दोनों की शिक्षा अधिक अनुकूलनीय, व्यापक और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बन सके। **छात्रों** को एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है जो उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने पर निर्बाध प्रवेश, ट्रांजिशन और गतिविधि प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करे। इसके लिए शैक्षिक रिकॉर्ड और प्रगति रिपोर्ट तक आसान पहुंच की आवश्यकता होती है जिससे उन्हें सुलभतापूर्वक और यथा समय शैक्षिक पात्रता प्राप्त करने और ट्रांजिशन में आसानी हो।

2.2.2 **अध्यापक** शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पथप्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं और अवसंरचना, एक अनुकूल शिक्षण-अधिगम वातावरण और एक सुरक्षित भविष्य और प्रगतिशील कैरियर पथ के आश्वासन की आवश्यकता होती है। शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग, **माता-पिता और समुदाय,** सरलीकृत प्रवेश प्रक्रियाओं, एक सुरक्षित और समावेशी स्कूल वातावरण और अपने बच्चे की सीखने की प्रगति पर नियमित अद्यतनीकरण की अपेक्षा करते हैं।

2.3 प्रमुख पहलें:

2.3.1 शिक्षा और सेवा वितरण के उभरते परिदृश्य के परिणामस्वरूप, पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न नवीन पहलें लागू की गई हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य स्कूल शिक्षा के अनुभव को सुव्यवस्थित करना और अधिक समावेशी तथा उत्तरदायी वातावरण को बढ़ावा देकर सेवा वितरण में सुधार करना है। तकनीकी प्रगति से लेकर समुदाय-आधारित कार्यक्रमों तक, ये पहलें शिक्षा और सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने, इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए एक सहज और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

❖ **प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)** अन्य सरकारी स्कूलों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है और एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करता है। इन पहलों में (क) आईसीटी, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी, (ख) व्यावसायिक पहल, (ग) ग्रीन स्कूल और (घ) चाइल्ड ट्रैकिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये स्कूल न केवल संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से सुसज्जित समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों का

निर्माण भी करेंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से, देश भर के 515 जिलों में 6207 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए गए हैं। ग्रीन स्कूलों पर विशेष बल दिया जाता है जिन्हें हरित प्रथाओं और सतत पहलों को शामिल करते हुए पर्यावरण के अनुकूल संस्थानों के रूप में विकसित किया जाता है।

❖ **विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके)** छात्रों के अधिगम परिणामों के लिए अवसंरचना को सक्षम करने से लेकर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी तत्वों की वास्तविक समय प्रगति तक पहुंचने के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करते हैं। वीएसके वर्तमान में बारह राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, पंजाब, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रचालनात्मक हैं।

❖ **पीएम ई-विद्या** आईसीटी का लाभ उठाकर और स्कूल स्तर पर शिक्षण और अधिगम सुविधा प्रदान करके शिक्षा को बनाए रखने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और विशिष्ट पहल है। यह देश भर में प्रसारित 12 डीटीएच टीवी चैनलों, सामुदायिक रेडियो, दिव्यांगों के लिए सामग्री (सीडब्ल्यूएसएन), पॉडकास्ट आदि के माध्यम से मल्टी-प्लेटफॉर्म मोड में विविध शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है।

❖ **पीएम गति शक्ति** लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन तक ले जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। पीएम श्री स्कूलों के चयन की प्रक्रिया के दौरान पीएम गतिशक्ति पोर्टल के विभिन्न स्तरों, जैसे प्रशासनिक, भौगोलिक स्तरों और गांव, शहरी और आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों की पहचान आदि का उपयोग किया गया है। देश भर के सभी चयनित पीएम श्री स्कूलों को पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ मैप किया गया है। पीएम गतिशक्ति पोर्टल का उपयोग विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ाने, नामांकन बढ़ाने और प्रतिधारण दरों पर ध्यान केंद्रित करने वाली विभिन्न पहलों की योजना बनाने के लिए प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) के लिए भी किया जा रहा है।

❖ **विद्यांजलि पोर्टल** समुदाय, स्वयंसेवकों, संगठनों और संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों को अपनी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ बातचीत करने तथा सीधे जुड़ने और अपने ज्ञान एवं कौशल को साझा करने में सक्षम बनाने का एक कार्यक्रम है। विद्यांजलि के

माध्यम से, 6,72,208 स्कूलों को शामिल किया गया है, 4,43,774 स्वयंसेवकों को पंजीकृत किया गया है, और अब तक 60,20,712 बच्चे प्रभावित हुए हैं।

❖ **एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)** शिक्षा के साथ-साथ एक विशेष विषय में चार वर्षीय दोहरा प्रमुख समग्र स्नातक डिग्री कार्यक्रम है। आईटीईपी में एक बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षकों के पास विभिन्न विषयों में एक मजबूत आधार हो और वे अपने छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान कर सकें। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आईआईटी, एनआईटी, आरआईई, इग्नू और सरकारी कॉलेजों सहित 42 संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है।

❖ **निष्ठा** स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए एक एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और छात्रों के बीच महत्वपूर्ण विचार-कौशल को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों एवं मुख्य शिक्षकों को सक्षम बनाता है। यह पहल अपनी तरह की पहली पहल है जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत गतिविधि-आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। इसने प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर 60 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण को सक्षम बनाया है। इससे, ईसीसीई के लिए 26,594 मास्टर प्रशिक्षक तैयार किया जाना संभव हुआ है, और लगभग 12.97 लाख शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर प्रशिक्षित किया गया है।

❖ **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी)** शिक्षकों के कार्य को परिभाषित करता है और 21वीं सदी के स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले, प्रभावी शिक्षण के स्पष्ट आधार बनाता है जिससे छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार होगा। एनसीटीई ने एक मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार किया है जो उन दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करता है जो शिक्षकों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए होनी चाहिए। एनपीएसटी को 75 केंद्रीय विद्यालयों में प्रायोगिक आधार पर चलाया जा रहा है।

❖ **नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग (एनएमएम)** में, जैसा कि एनईपी 2020 के पैरा 15.11 में परिकल्पित है, स्कूल शिक्षकों को मेंटरिंग प्रदान करने के इच्छुक उत्कृष्ट पेशेवरों के एक बड़े पूल के निर्माण के बारे में बात की गई है। एक प्रारंभिक दस्तावेज़ 'ब्लूबुक ऑन एनएमएम' को बॉटम-अप दृष्टिकोण के रूप में क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद विकसित किया गया है और इसका उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि मेंटरिंग

प्रक्रियाएं शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाएं। एनएमएम को 30 केंद्रीय विद्यालयों में प्रायोगिक तौर पर चलाया जा रहा है।

❖ परख, सफल, एनएएस और एसईएएस सहित विभिन्न मूल्यांकन, कौशल और योग्यता मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परख छात्र मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और सर्वेक्षण दिशानिर्देश निर्धारित करता है, स्कूल बोर्डों का मार्गदर्शन करता है। सफल मुख्य दक्षताओं का आकलन करता है, छात्र विकास के लिए नैदानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एनएएस विभिन्न प्रकार के स्कूलों को शामिल करते हुए कक्षा 3, 5, 8 और 10 में अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। एसईएएस, एनएएस मूल्यांकन से पहले ग्रेड 3, 6 और 9 के लिए वार्षिक रूप से होता है।

❖ **समग्र शिक्षा योजना:** समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। यह आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे जमीनी स्तर पर शिक्षा के समग्र विकास को सक्षम बनाया जा सकता है। योजना का दृष्टिकोण शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

❖ **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)** हमारे छात्रों के पोषण संबंधी कल्याण को बढ़ावा देता है, जो प्रभावी शिक्षा और विकास की आधारशिला है। योजना के तहत 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा प्राथमिक स्कूलों में प्री-स्कूल या बाल वाटिका (कक्षा 1 से पहले) के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन देने का प्रावधान है।

❖ **प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तथा बुनियादी शिक्षण** रुपरेखा दृढ़ता से बच्चे की जरूरतों पर केंद्रित है और इससे बच्चों की बेहतर देखभाल और बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त वातावरण तैयार होना चाहिए। इसके अलावा, यह रुपरेखा बाल देखभाल और प्रारंभिक शैक्षिक प्रथाओं के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें प्री-स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई का प्रावधान, ईसीसीई शिक्षकों का प्रशिक्षण और बच्चों के अनुकूल सुविधाएं और फर्नीचर शामिल हैं।

❖ **एनडीईएआर** को शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने की दृष्टि से शुरु किया गया था। इसका उद्देश्य खुले, अंतर-संचालित और विकसित समाधानों की पेशकश करते हुए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य

इसमें शामिल सभी पक्षों, विशेषकर राज्यों और केंद्र की स्वायत्तता और स्वशासन की दिशा में एक डिजिटल आधार तैयार करना है।

2.4 गतिविधियों और प्रक्रियाओं की निगरानी:

2.4.1 शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़+): यह एकीकृत प्रणाली जिला स्तर पर व्यापक डेटा संग्रह और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है, जो 14.89 लाख से अधिक स्कूलों, 95 लाख शिक्षकों और 26.5 करोड़ बच्चों को कवर करती है।

2.4.2 परियोजना मूल्यांकन, बजट, उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग प्रणाली (प्रबंध): प्रबंध परियोजना मूल्यांकन और बजट कार्य के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है, जो कुशल संसाधन आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है। यह दक्षता बढ़ाने और स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन को प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक कदम है।

2.4.3 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति (सार्थक): सार्थक को राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों, स्वायत्त निकायों और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था ताकि 297 कार्यों के साथ एनईपी सिफारिशों को संरेखित किया जा सके जिसमें जिम्मेदार एजेंसियों को निर्दिष्ट करना, समय-सीमा, और 304 कार्य आउटपुट शामिल हैं।

2.4.4 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग: भौगोलिक सूचना प्रणाली और जियो इमेजिंग तकनीक योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देती है और मदद करती है। यह न केवल दृश्य उपकरण है बल्कि एक ऐसी तकनीक भी है जो विभिन्न दृष्टिकोणों से अन्य सूचनाओं के आधार पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में मदद करती है। इसका उपयोग वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए किया गया था।

2.5. स्कूल शिक्षा के लिए भारत का दृष्टिकोण

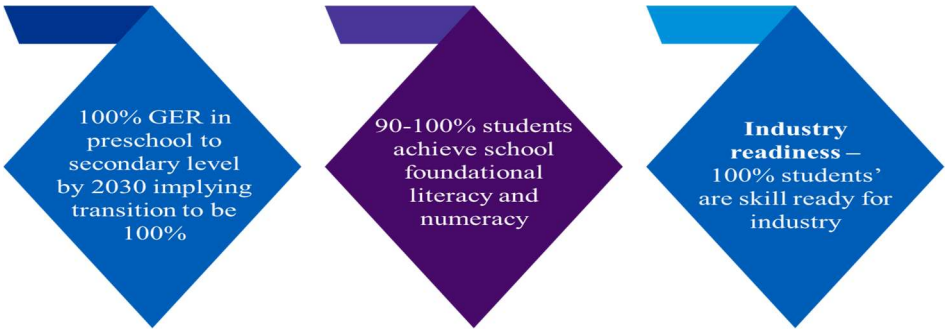

चित्र 5: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा हेतु भारत का दृष्टिकोण

2.5.1 भारत सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद, मूलभूत और जीवन कौशल से लैस आजीवन शिक्षार्थियों को बढ़ावा देने में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने की इच्छा रखता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एक परिवर्तनकारी शैक्षिक परिदृश्य की परिकल्पना करता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के उद्देश्यों में 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राप्त करना शामिल है, जो समग्र विकास के लिए निर्बाध बदलाव पर बल देता है। इसका लक्ष्य 90-100% छात्रों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल प्राप्त करना है, जो संचार और महत्वपूर्ण विचार-कौशल के लिए आवश्यक उपकरणों पर जोर देता है। अंततः, उद्योग की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, सभी छात्रों को नौकरी बाजार की उभरती मांगों के लिए तैयार करने का प्रयास किया गया है, आर्थिक विकास और नवाचार में योगदान देने वाले कार्यबल को बढ़ावा दिया गया है।

भारत का लक्ष्य 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए मजबूत बुनियादी और जीवन कौशल के साथ आजीवन शिक्षार्थियों को विकसित करने में वैश्विक नेता बनना है, भले ही शिक्षार्थी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शैक्षिक परिदृश्य में क्रांति लाने के उद्देश्य से आकांक्षाओं और बहुआयामी उद्देश्यों को रेखांकित किया है।

3. चुनौतियां

3.1 शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना

3.1.1 शिक्षा की पहुंच संबंधी चुनौतियाँ स्कूल की अनेक श्रेणियों के साथ कायम हैं, परिणामस्वरूप जटिल परिस्थितियां, विविध नामांकन और उच्च ड्रॉपआउट जोखिम होते हैं (तालिका-1)। वर्तमान में, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूलों की 10 श्रेणियां हैं (चित्र 6)। इस वर्गीकरण के कारण लगभग 34% स्कूलों, लगभग 5 लाख संस्थानों में 50 से कम छात्रों का नामांकन है (चित्र 7)। हमारे विजन

का उद्देश्य इस परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक स्कूल में इष्टतम बुनियादी ढांचा हो और छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएं।

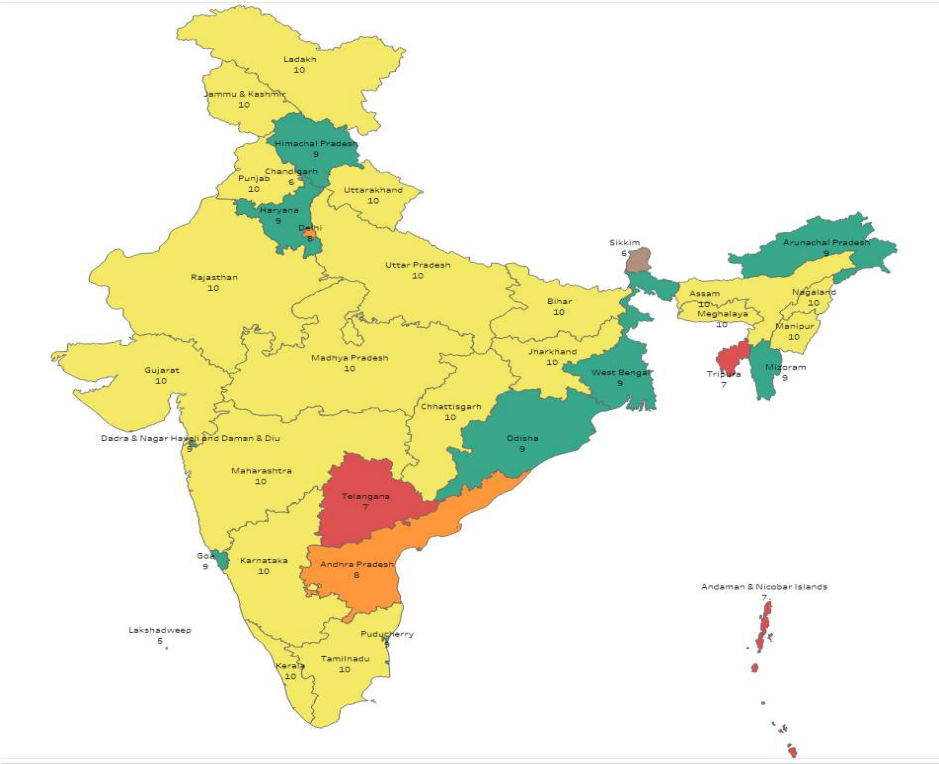

चित्र 6: राज्यों में स्कूल वर्गीकरण

स्कूल श्रेणी	संख्या		प्रतिशत	
	स्कूल (लाख में)	नामांकन (करोड़ में)	स्कूल	नामांकन
प्राथमिक (I-V)	7.4	5.4	50.7	21.5
उच्च प्राथमिक (I-VIII)	3.4	6.2	22.9	24.5
वरिष्ठ माध्यमिक (I-XII)	0.7	4.6	4.9	18.3
उच्च प्राथमिक (VI-VIII)	0.9	0.8	6.2	3.0
वरिष्ठ माध्यमिक (VI-XII)	0.4	2.7	2.7	10.5
माध्यमिक(I-X)	0.7	2.7	5.0	10.6
माध्यमिक (VI-X)	0.4	0.9	2.9	3.6
माध्यमिक (IX-X)	0.3	0.4	2.0	1.4
वरिष्ठ माध्यमिक (IX-XII)	0.2	1.1	1.6	4.2
वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII)	0.2	0.6	1.1	2.3

तालिका I: *स्कूल श्रेणी के अनुसार स्कूलों की संख्या और नामांकन*

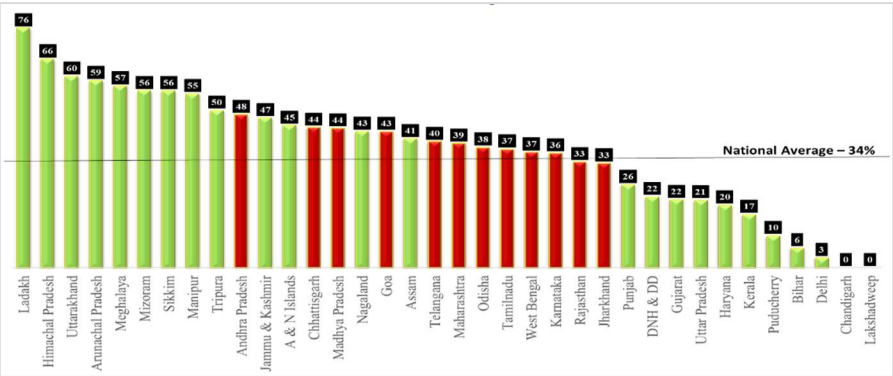

चित्र 7: 50 नामांकन तक के स्कूलों का राज्य-वार प्रतिशत

3.1.2 प्रवेश, ट्रांजिशन और अन्य स्कूल सेवाओं के प्रबंधन का कार्य हाथ से करने से कई प्रकार की चुनौतियों उत्पन्न होती हैं, जिनमें अक्षमताएं, त्रुटियां और छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक असंतोषजनक अनुभव शामिल है। इन चुनौतियों में वास्तविक कागजी कार्रवाई, प्रशासनिक भार, सीमित पहुंच, सूचना नष्ट होना, ड़ाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ, रिकॉर्ड ट्रांसफर में आने वाली कठिनाइयाँ, मापनीय मामले और अक्षम आईटी ढांचा शामिल हैं।

3.1.3 एक अन्य बाधा बच्चे की शैक्षिक यात्रा की अप्रभावी ट्रैकिंग और अधिगम परिणामों का आकलन करना है। ट्रांजिशन के दौरान शैक्षिक रिकॉर्ड को पुन: प्राप्त करने में विलंब और जटिलताएँ स्कूल शिक्षा की निरंतरता में बाधा डालती हैं। मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता से समस्याएँ बढ़ती हैं, जिससे दस्तावेज़ीकरण संबंधी त्रुटियाँ होती हैं, पहुँच सीमित हो जाती है और छात्र की गतिशीलता में बाधा आती है। शिक्षा मंत्रालय का लक्ष्य इन चुनौतियों को दूर करना है, ताकि सभी के लिए सुलभ और निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

3.2 शिक्षा में सेवा वितरण का अनुकूलन

3.2.1 शिक्षा क्षेत्र में कुशल सेवा वितरण प्राप्त करने के लिए व्यापक परिवर्तन अपेक्षित है। असमान शिक्षक तैनाती से शैक्षिक गुणवत्ता और अवसरों में असंतुलन उत्पन्न होता है। शैक्षिक रिकॉर्ड के लिए एक केंद्रीकृत भंडार की कमी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जटिल बनाती है, जिससे निर्बाध ट्रांजिशन और मूल्यांकन में बाधा आती है। 62 विभिन्न शैक्षणिक बोर्डों के प्रसार और आठ राज्यों द्वारा कई बोर्ड बनाए रखने से मानकों में असमानताएं उत्पन्न होती हैं। पूरक परीक्षाओं और पुनर्मूल्यांकन के लिए मैन्युअल प्रक्रियाएं समय लेने वाली होती हैं और महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच को सीमित करती हैं। फर्जी दस्तावेज़ों के मुद्दे आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं जिससे शिक्षा प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा मंत्रालय सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने, संसाधन

परिनियोजन बढ़ाने और सुलभ, पारदर्शी एवं सुरक्षित शैक्षिक प्रक्रियाओं हेतु उन्नत तकनीक अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.2.2 प्रस्तावित समाधान में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का "सुलभ स्कूल शिक्षा" में वृद्धि और शैक्षिक यात्रा में सभी हितधारकों को सशक्त बनाने का दृष्टिकोण शामिल है। यह व्यापक रूपरेखा सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक संसाधन के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य पहुंच और सेवा-संबंधित मामलों का समाधान करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए शैक्षिक अनुभव में सुधार करना है। इस प्रस्ताव में दो प्रमुख फोकस क्षेत्रों **स्कूलों तक सुलभ पहुंच** और **सुलभ सेवा वितरण** के साथ एक एकीकृत वेब पोर्टल शामिल है।

4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से पहुंच हेतु भावी समाधान

4.1 समावेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शैक्षिक परिदृश्य में समग्र परिवर्तन की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण तत्व समावेशी **वास्तविक-डिजिटल मूलभूत अवसंरचना** का विकास है। शिक्षा मंत्रालय, सभी के लिए शैक्षिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी की पहुंच सुनिश्चित करके, वास्तविक या डिजिटल सीमाओं के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखता है। स्कूल परिसरों को **"अभिसरण केंद्र"** के रूप में विकसित करने की अवधारणा से छोटे आकार के स्कूलों को कम किया जा सकता है, नामांकन बढ़ाया जा सकता है और क्लस्टर में अन्य स्कूलों के लिए बेंचमार्क के रूप में काम किया जा सकता है, जो छात्र के समग्र विकास के स्तंभ बन सकते हैं। यह अभिसरण दृष्टिकोण शिक्षा प्रणाली के भीतर सिलोस को तोड़ता है, छात्रों को विभिन्न व्यापक कौशल और सहायता सेवाएं प्रदान करता है, समावेशिता को बढ़ावा देता है और एक अच्छा शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है। यह स्कूल प्रशासन, सहकर्मी शिक्षण और संसाधन साझाकरण को भी बढ़ाता है। स्कूलों का एकीकरण संसाधनों के अनुकूलन और संसाधन आवंटन को सुव्यवस्थित करके, बेहतर सुविधाएं प्रदान करके और छात्रों के लिए समग्र शैक्षिक अनुभव में सुधार करके शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने में सहायता करेगा।

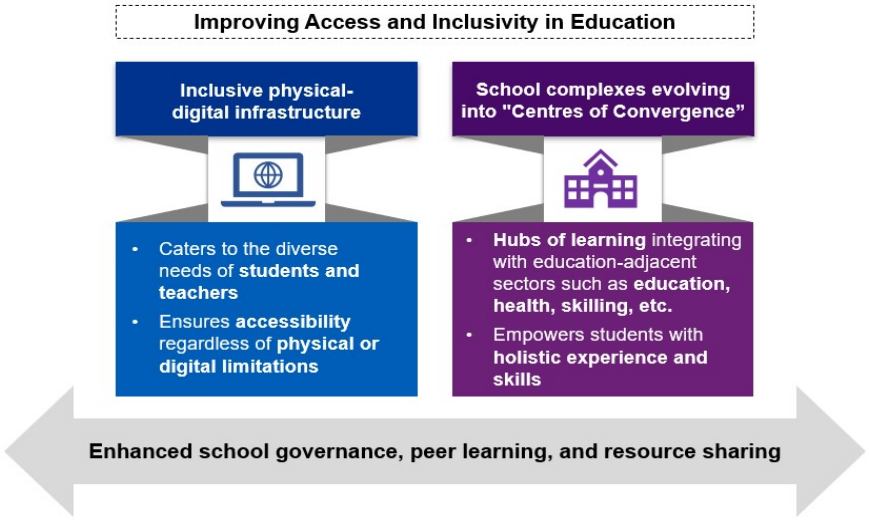

चित्र 8: शिक्षा में पहुंच और समावेशिता में सुधार

4.2 परिवहन अवसंरचना में वृद्धि से परिवारों को आने-जाने की वित्तीय लागत को कवर करने में सहायता मिल सकती है, जिससे उन लोगों के लिए शिक्षा अधिक सुलभ हो सकती है, जो स्कूलों तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। इससे नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से सीमित सार्वजनिक परिवहन विकल्पों वाले क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए। इस संबंध में कुछ पहलें शुरू की गई हैं जैसे कि छिटपुट आबादी वाले दूरदराज़ के क्षेत्रो में, जहां स्कूल खोलना अव्यवहार्य है अथवा जहां सकल पहुंच अनुपात कम है, के बच्चों के लिए कक्षा X तक 6000/- रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से समग्र शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक स्तर तक परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा का प्रावधान किया गया है।

4.3 स्कूलों की श्रेणियों को सरल बनाने से अभिभावकों और छात्रों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो जाती है, जिससे संभावित रूप से प्रवेश में वृद्धि होती है। **कई श्रेणियों को कम करने से** मानदंड और गुणवत्ता के मानकीकरण में सहायता मिलती है, जिससे एक सुसंगत शैक्षिक मानक सुनिश्चित होता है। सामान्य तौर पर, उच्च प्रतिधारण के लिए तीन श्रेणियां-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक- रखी जा सकती हैं। इससे प्रशासनिक भार कम हो जाता है, जिससे चयन प्रक्रिया स्कूलों और आवेदकों दोनों के लिए अधिक सुविधाजनक हो जाती है, तथापि प्रवेश पर प्रभाव विशिष्ट शैक्षिक प्रणालियों, स्थानीय संदर्भों और कार्यान्वयन रणनीतियों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

4.4 अवसंरचना में सुधार से स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारणों में से एक- खराब अवसंरचना-का समाधान करके प्रवेश में वृद्धि होती है। स्मार्ट कक्षा-कक्षों, आईसीटी केंद्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और खेल के मैदानों सहित सभी स्कूलों में गुणवत्ता सक्षम वातावरण सुनिश्चित करने से एक अनुकूल अधिगम माहौल बनता है, जो समग्र शैक्षिक अनुभव को प्रभावित करता है। उच्च-गुणवत्ता वाली

अवसंरचना अभिभावकों और छात्रों के निर्णय लेने को प्रभावित करता है, जिससे प्रवेश दर में वृद्धि होती है।

4.5 प्रवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्रस्ताव में ऑनलाइन आवेदन, स्वचालित स्क्रीनिंग, स्कूल चयन और बाधा रहित नामांकन के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों की सहायता करने का सुझाव दिया गया है। अधिक सरल प्रवेश प्रक्रिया बाधाओं को कम करती है, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है और ड्रॉपआउट को कम करती है। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव छात्रों के लिए एपीएएआर (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी नामक एक अद्वितीय आईडी से जुड़ा एक मंच पेश करता है, जो एक ही राज्य में कक्षाओं के बीच निर्बाध ट्रांजिशन की सुविधा प्रदान करता है। यह पूरे वर्ष में स्कूल में छात्रों के ड़ाटा का सुरक्षित भंडारण और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है। अंत में, अंतर-राज्य आवाजाही के लिए, अभिभावक और छात्र ऐसे स्कूलों का चयन कर सकते हैं जो आसान प्रवेश की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे स्थानांतरण के दौरान एक सक्षम वातावरण बन सके।

4.6 प्रवेश में आसानी हेतु प्रस्तावित व्यापक समाधान:

4.6.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में, छात्र अब कई स्थानों पर स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे एक आईडी, विशेष रूप से एपीएएआर आईडी के निर्माण पर केंद्रित एक एकीकृत प्रणाली के विकास की आवश्यकता होती है। यह आईडी सिस्टम के मध्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक व्यापक भंडार के रूप में कार्य करती है, जिसमें प्रवेश, परिवर्तन, गतिविधियां और वीएसके, यूडाइज़+ जैसी संस्थाओं के साथ रिकॉर्ड मिलान शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से छात्र की यात्रा निम्नानुसार होती है, जो जन्म से शुरू होती है और 10वीं और 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाओं के साथ समाप्त होती है

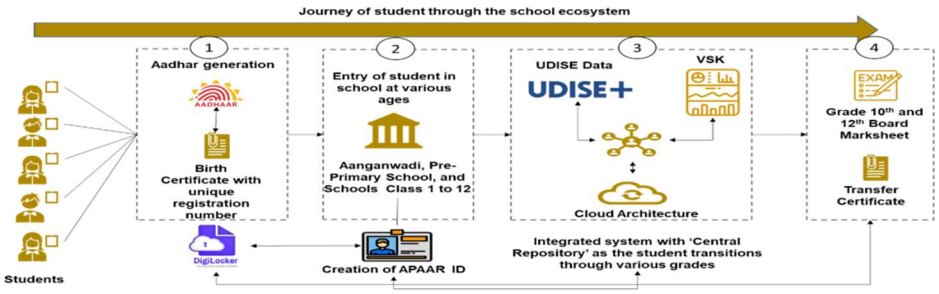

चित्र 9: स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से छात्रों की यात्रा

क **जन्म:** बच्चे के जन्म के बाद, स्थानीय नागरिक रजिस्ट्री कार्यालय में एक जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है, जिसे अस्पतालों और नर्सिंग केंद्रों जैसे संस्थानों द्वारा शुरू किया जाता है। प्रत्येक प्रमाणपत्र में एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या होती है, जो संभावित रूप से बच्चे की पहचान के रूप में काम करती है। साथ ही, माता-पिता को अपने बच्चे के लिए आधार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र और आधार को डिजी लॉकर से लिंक किया जा सकता है और उसमें अपलोड किया जा सकता है।

ख **स्कूल प्रवेश:** प्रवेश के दौरान, आंगनवाड़ी या स्कूल एक एपीएएआर आईडी बनाने में सहायता करता है, जो डिजी लॉकर में संग्रहीत एक विशिष्ट पहचानकर्ता है। माता-पिता की सहमति से छात्र का आधार एपीएएआर आईडी से जोड़ा जाएगा। बिना आधार वाले छात्रों को, सहायता प्रदान जाएगी, और एक बार प्राप्त होने पर, इसे एपीएएआर आईडी से जोड़ा जाएगा। यह आईडी अनुभव जनित सार्वभौमिकरण योजना के साथ, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शुरू होकर, सम्पूर्ण स्कूल शिक्षा प्रणाली में एक सार्वभौमिक छात्र पहचानकर्ता के रूप में काम करेगी। डिजी लॉकर स्कूल प्रवेश दस्तावेजों के लिए एक केंद्रीय भंडार बन जाएगा।

ग **ट्रांजिशन (एक ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरण):** ट्रांजिशन में छात्रों को एक ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एक ही या विभिन्न जिलों/ब्लॉकों के विभिन्न स्कूलों में लंबवत या क्षैतिज रूप से उच्चतर या समकक्ष कक्षा में स्थानांतरित करना शामिल है। एपीएएआर आईडी स्कूल यात्रा के दौरान यूडाइज़+ और वीएसके सिस्टम में छात्र रिकॉर्ड को एकीकृत करती है, जिससे एक ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मध्य कक्षाओं में सहज ट्रांजिशन की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए, आवाजाही को ऐसी स्थिति के रूप में समझा जा सकता है कक्षा 5 में पढ़ने वाला एक छात्र विभिन्न कारणों जैसे बेहतर अवसर या उनकी वर्तमान स्ट्रीम में वरिष्ठ कक्षा की अनुपलब्धता पर एक अन्य स्कूल में उच्च-प्राथमिक स्तर पर जाना चाहता है।

घ **आवाजाही (एक राज्य/जिले से दूसरे राज्य में स्थानांतरण):** आवाजाही एक ऐसी स्थिति है जहां एक छात्र या तो ऊर्ध्वाधर रूप से उच्चतर ग्रेड में या क्षैतिज रूप से उसी ग्रेड में लेकिन एक अलग राज्य में स्थानांतरित होता है। ऐसी "आवाजाही" तब हो सकती है जब एक छात्र को कई कारणों से एक अलग भौगोलिक स्थान पर अन्य स्कूल में स्थानांतरित होना पड़ता है, जैसे कि एक अलग राज्य/जिले में प्रवास या माता-पिता के रोजगार में बदलाव के कारण होने वाली गतिविधि। छात्रों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, एपीएएआर आईडी अंतरराज्यीय छात्र रिकॉर्ड के एकीकरण को सक्षम बनाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रों की सुचारू आवाजाही के लिए एपीएएआर आईडी के माध्यम से डाटा को आपस में जोड़ा जाएगा।

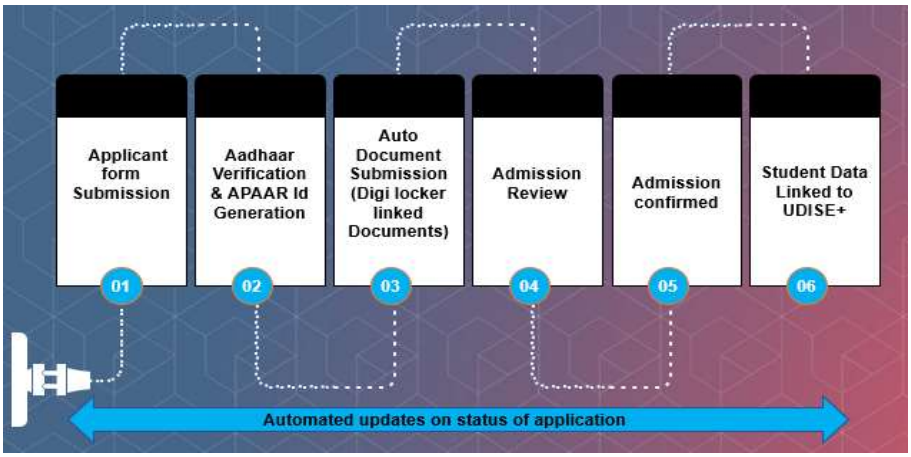

चित्र 10: प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से सेवा वितरण हेतु भावी समाधान

5.1 विषय:

5.1.1 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता होती है, जो प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू से शुरू होकर शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करती है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास व्यक्तिगत और अनुकूली शिक्षाशास्त्र के लिए कौशल और उपकरण हैं, जो इष्टतम विकास के लिए प्रत्येक छात्र की क्षमता का दोहन करते हैं। इसके अतिरिक्त, माता-पिता की भागीदारी आवश्यक है, जिसमें माता-पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में समग्र रूप से सहायता करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है। समुदाय और स्कूल के बीच की दूरी को पाटकर, अधिक अनुकूल अधिगम का माहौल तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनडीईएआर और परख का विश्व स्तर पर विस्तार भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करता है। शिक्षा मंत्रालय की यह पहल न केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है बल्कि वैश्विक शिक्षा मानकों को भी ऊपर उठाती है, जिससे दुनिया भर में उज्जवल भविष्य में योगदान मिलता है।

5.2 सेवा वितरण में आसानी:

5.2.1 अधिक प्रभावी और समान शिक्षा वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर अधिगम परिणामों और मजबूत **सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण** के लिए **शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती** आवश्यक है। छात्रों की संख्या और जरूरतों के अनुसार शिक्षकों को संरेखित करने से एक संतुलित अनुपात बनता है, जो व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करता है। विशेषज्ञता अनुसार शिक्षकों की तैनाती से विषय का प्रभाव बढ़ता है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है। कौशल के अनुसार भूमिकाएँ सौंपने से जॉब संतुष्टि में सुधार होता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर प्रदर्शन होता है। क्षमता निर्माण के माध्यम

से **डीआईईटी और एससीईआरटी जैसे संस्थानों को सुदृढ़ करने** से समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार होता है। आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों को शैक्षिक आवश्यकताओं को विकसित करने, पाठ्यक्रम और नीतियों में परिवर्तन की अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए तैयार करते हैं।

5.2.2 **विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके)** की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न शिक्षा पहलों की प्रगति को व्यापक रूप से ट्रैक करना है। वीएसके, एपीएएआर आईडी के माध्यम से डाटा रिपॉजिटरी से आगे बढ़ते हुए, समग्र स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए प्रभावी निगरानी और विश्लेषण में सहायता करता है। सेवा वितरण में आसानी शैक्षिक रिकॉर्ड प्रबंधित करने, परीक्षा प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और छात्र रिकॉर्ड को सत्यापित और प्रमाणित करने जैसी सेवाओं का प्रस्ताव करती है।

5.2.3 शैक्षिक अभिलेखों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। सरकारी स्कूलों में आवश्यक दस्तावेज जारी करने और अभिलेखों को संशोधित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने से सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित होता है। **एपीएएआर आईडी से जुड़े डिजी लॉकर का सुदृढ़ीकरण**, बोर्ड डेटा को प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने पर बल देता है। यह प्रस्ताव छात्रों के सुचारू प्रवेश और स्कूलों व कक्षाओं के बीच परिवर्तन में सहायता प्रदान करने के लिए प्रवेश संबंधी दस्तावेज, स्कूल आधारित डाटा जैसे मूल्यांकन प्रगति रिपोर्ट- समग्र रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, **स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मार्कशीट, बोर्ड प्रमाण पत्र** आदि जैसे शैक्षिक अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

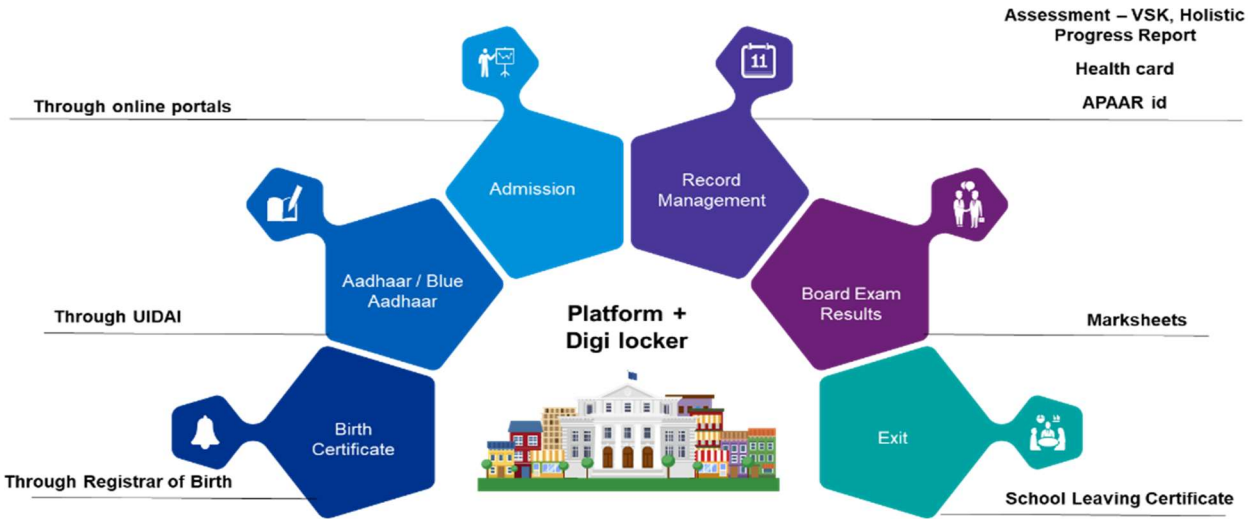

चित्र 11: शैक्षिक रिकॉर्ड प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्ताव का प्रबंधन

5.2.4 योग्यता-आधारित मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने और प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी करने से छात्र का तनाव कम होता है। एक समकालिक कार्यक्रम व्यापक तैयारी में सहायक है जिससे बोर्ड परीक्षाओं से प्रवेश परीक्षाओं तक की राह आसान हो जाती है।

एकीकृत कार्यक्रम प्रभावी समय प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जो शैक्षिक यात्राओं के दौरान समग्र तनाव को कम करता है।

5.2.5 सेवा वितरण को बढ़ाने में एपीएएआर आईडी से जुड़े डिजी लॉकर के माध्यम से **छात्रों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन और प्रमाणीकरण** को सरल बनाना शामिल है। यह सत्यापन में समय, संसाधनों और त्रुटियों को कम करता है, जिससे डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। एक बार जब छात्र कक्षा 10 या 12 की स्कूली शिक्षा पूरी कर लेगा, तो छात्र की बोर्ड प्रतिलिपि को एपीएएआर आईडी से जोड़ दिया जाएगा। प्रस्तावित समाधान का उद्देश्य डिजीलॉकर के साथ एपीएएआर आईडी के माध्यम से दस्तावेजों को एकीकृत करके प्रवेश प्रक्रिया को कुशल और सुरक्षित बनाना है। यह दस्तावेज़ एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों के मूर्त प्रमाण के रूप में कार्य करता है, और इसकी सटीकता विभिन्न उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। नियोक्ता भी नौकरी आवेदकों की योग्यता का आकलन करने के लिए इन दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे नागरिकों को अनावश्यक बाधाओं के बिना इन लाभों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

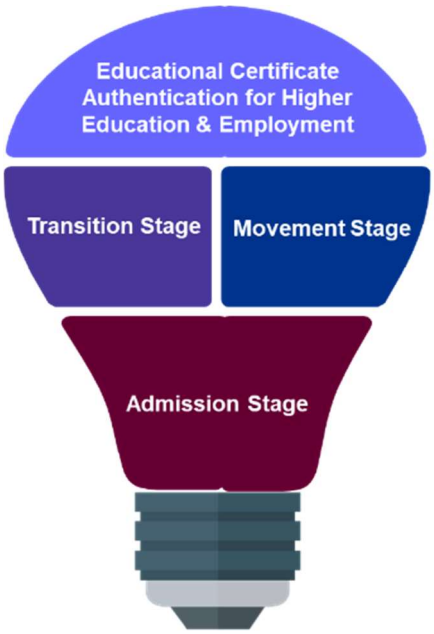

चित्र 12: विभिन्न स्तरों पर छात्र डेटा का सत्यापन और प्रमाणीकरण

5.2.6 इस प्रस्ताव में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 65 बोर्डों में **पुनर्मूल्यांकन और परीक्षा सेवाओं** में सुधार को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। स्कूल शिक्षा संबंधी एनसीएफ 2023 के अनुसार, छात्रों को एक स्कूल वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है, जिसमें केवल उच्चतम स्कोर बरकरार रखा जाता है, जिससे परीक्षा की उच्च जोखिम वाली प्रकृति कम हो जाती है। प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रक्रियाएं ग्रेड परिवर्तन में होने वाले विलंब को कम करती हैं, जिससे छात्रों को

अपने परिणामों में और अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए कई अवसर मिलते हैं। यह प्रस्ताव छात्रों को स्कूल से कार्यस्थल या स्कूल से विश्वविद्यालय के परिवर्तनकाल में सहायता करने के लिए परीक्षा प्रक्रियाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है।

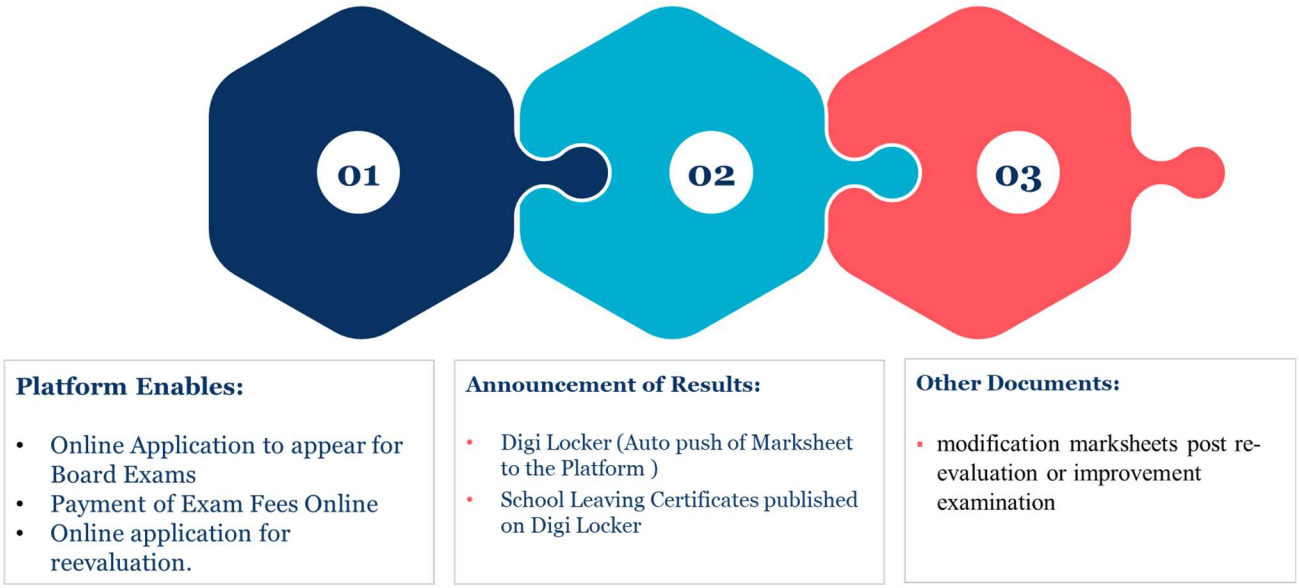

चित्र 13: परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्ताव

6. प्राथमिकता वाले क्षेत्र

6.1 विषय:

6.1.1 शिक्षा एक निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है जो समाज और छात्रों की बदलती जरूरतों के अनुकूल है। इष्टतम शिक्षा प्रदान करने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) छह महत्वपूर्ण ध्यान देने वाले क्षेत्रों पर बल देता है जो पहुंच, भागीदारी और प्रभावशीलता को बढ़ाकर शिक्षा में क्रांति ला सकते हैं।

6.2 छात्रों और शिक्षकों के लिए समावेशी अवसंरचना का सृजन करके पहुंच में सुधार करना:

6.2.1 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभता पर निर्भर करती है। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए भौतिक तथा डिजिटल परिवेश को शामिल करते हुए विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी अवसंरचना तैयार करना महत्वपूर्ण है। समावेशी अवसंरचना में शिक्षकों के लिए विश्वसनीय प्रौद्योगिकी पहुंच के साथ-साथ छात्रों के लिए सुलभ कक्षाएं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इस अवसंरचना में निवेश न केवल अधिगम के अनुभवों को समृद्ध करता है, बल्कि नए तकनीकी संसाधनों के साथ शिक्षकों को सशक्त बनाते हुए समानता और अपनेपन की भावना को भी बढ़ावा देता है।

6.2.2 **कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति**:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र, पीएम श्री और स्टार्स जैसी पहलों के तहत उपयुक्त योजनाओं का प्रस्ताव करते हुए, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से अवसंरचनात्मक कमियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- वास्तविक रूप से सुलभ कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में निवेश, छात्रों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- समावेशी शिक्षा हेतु शैक्षिक संसाधनों को बनाने और साझा करने के लिए शिक्षकों को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी पहुंच का प्रावधान।

6.3 किसी भी समय, कहीं भी सीखने को समग्र रूप से सहायता प्रदान करने के लिए अभिभावकों की क्षमता का विकास करना:

6.3.1 बच्चे की शिक्षा में माता-पिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता हेतु उन्हें ज्ञान और उपकरणों से युक्त करना महत्वपूर्ण है। कार्यशालाएं और संवादात्मक चैनल स्कूलों और समुदायों के बीच एक सुदृढ़ साझेदारी को बढ़ावा देते हुए माता-पिता को शामिल कर सकते हैं, जिससे छात्रों के प्रदर्शन और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

6.3.2 कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति:

- पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और घर पर सीखने में सहायता प्रदान करने वाले तरीकों को समझने के लिए अभिभावकों हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- समाचार पत्रों, बैठकों और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके स्कूलों और अभिभावकों के बीच प्रभावी संवादात्मक चैनल स्थापित करना।
- निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और स्कूल की गतिविधियों में अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

6.4 व्यक्तिगत, अनुकूलक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना:

6.4.1 विभिन्न शैक्षणिक शैलियों को स्वीकार करने के लिए, शिक्षकों को व्यक्तिगत, अनुकूलक अध्यापन हेतु कौशल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) जैसे प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच शिक्षकों को अनुकूलित शिक्षण, शैक्षणिक प्रदर्शन और प्रेरणा में सुधार हेतु सशक्त बना सकती है। इन अनुभवों से यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें वह

सहायता और चुनौतियां मिलें जिनकी उन्हें आवश्यकता है, जिससे अंततः उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और प्रेरणा में सुधार होता है।

6.4.2 कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति:

- अनुभवी शिक्षकों और एनएमएम के माध्यम से मार्गदर्शन चाहने वालों के बीच संपर्क स्थापित करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिश के अनुरूप शिक्षकों के लिए 50 घंटे के सतत व्यवसायपरक विकास की व्यवस्था करना।
- दीक्षा जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और प्रभावशीलता के लिए वैकल्पिक उपायों का पता लगाना।

6.5 विद्यार्थियों का मूल्यांकन योग्यता आधारित होना चाहिए:

6.5.1 योग्यता-आधारित मूल्यांकन पारंपरिक मानकीकृत परीक्षण से इतर व्यावहारिक कौशल और ज्ञान पर केंद्रित है। यह छात्र की आगे की शिक्षा या कार्यबल के लिए तत्परता का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए, गहन विचारशीलता और समस्या-समाधान कौशल को प्रोत्साहित करता है।

6.5.2 कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति:

- वीएसके के माध्यम से योग्यता-आधारित मूल्यांकन की ओर अग्रसर होने के संभावित लाभों की पहचान करते हुए वर्तमान मूल्यांकन परिदृश्य का एक व्यापक विश्लेषण करना।
- व्यावहारिक कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने और अंतर्दृष्टि हेतु शिक्षकों, प्रशासकों, माता-पिता और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जुड़ना।
- एनसीईआरटी और परख के सहयोग से शिक्षकों के लिए लक्षित व्यवसायपरक विकास के अवसर तैयार करना।
- कक्षा 3, 6 और 9 के लिए भाषा और गणित पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 3 नवंबर, 2023 को आयोजित राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस) का विश्लेषण और निर्माण करना।

6.6 सेवा वितरण में सुधार हेतु एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में पीएम ई-विद्या का लाभ उठाना:

6.6.1 पीएम ई-विद्या के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से शैक्षिक सेवा वितरण में वृद्धि हो सकती है। शैक्षणिक दृष्टिकोण में इस पहल को एकीकृत करने से शैक्षिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे वे अधिक प्रभावशाली और सुलभ हो सकती हैं।

6.6.2 कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति:

- प्रधानमंत्री ई-विद्या मंच और इसके संसाधनों पर शिक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
- सभी छात्रों के लिए आवश्यक उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- पीएम ई-विद्या के कार्यान्वयन हेतु उपयोग, प्रदर्शन और शिक्षक प्रतिक्रिया संबंधी डाटा एकत्र करते हुए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र स्थापित करना।
- अभिभावकों हेतु जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, ताकि वे अपने बच्चों को घर पर पीएम ई-विद्या संसाधनों तक पहुंच बनाने और उनका उपयोग करने में सहायता कर सकें।

6.7 स्वास्थ्य और कौशल जैसे शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों के साथ एकीकृत करने के लिए स्कूल परिसरों को 'अभिसरण केंद्रों' के रूप में विकसित करना:

6.7.1 स्कूलों को अभिसरण केंद्रों में बदलने से सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलता है। इसमें संयुक्त पाठ्येतर कार्यक्रम, सामुदायिक भागीदारी और साझा संसाधन शामिल हैं, जो शिक्षा हितधारकों के बीच अपनेपन और संयुक्तता की भावना पैदा करते हैं।

6.7.2 कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति:

- प्रभावी सहयोग हेतु स्कूल परिसर प्रमुखों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना।
- सहयोग के दायरे को परिभाषित करते हुए, एक क्लस्टर परिसर के भीतर स्कूलों के बीच सहयोग तंत्र की स्थापना।
- समग्र शैक्षिक अनुभव के संवर्धन हेतु स्कूलों में संयुक्त पाठ्येतर कार्यक्रमों को एकीकृत करना।
- सफल अभिसरण मॉडलों की पहचान करना और अन्य ब्लॉकों तथा जिलों में उनकी वृद्धि करने और दोहराने के लिए कार्यनीतियों का विकास करना।

7. भावी पथ

7.1 विषय:

7.1.1 शिक्षा एक राष्ट्र की उन्नति की आधारशिला है, जिससे बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद की गई पहलों को आगे बढ़ाते हुए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) ने प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाया है। इस आधार को और सुदृढ़ करने तथा छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को संरक्षित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं। डीओएसईएंडएल ने छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे के रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है।

7.2 सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के लिए डिजी लॉकर:

7.2.1 डिजी लॉकर की शुरूआत ने शैक्षिक अभिलेखों को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों को लाभ हुआ है। प्रगति के लिए, डीओएसईएंडएल को राज्यों के साथ मिलकर, एक समान मंच सुनिश्चित करते हुए, इस सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना चाहिए। एक केंद्रीकृत प्रणाली शैक्षिक अभिलेखों तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे सत्यापन प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी।

7.3 प्रौद्योगिकी-सक्षम पुनर्मूल्यांकन और सुधार परीक्षा:

7.3.1 पुनर्मूल्यांकन और सुधार परीक्षाओं में प्रौद्योगिकी का समावेश दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाए जाने से यह सुनिश्चित होता है कि देश भर के छात्र अपने स्कोर बढ़ा सकें और निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन की मांग कर सकें, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

7.4 प्रौद्योगिकी-सक्षम अंक पत्रों और माइग्रेशन प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना/पुनः जारी किया जाना/संशोधन

7.4.1 शैक्षणिक दस्तावेजों को जारी और संशोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। अब लक्ष्य सार्वभौमिक रूप से कवर करना है, जिससे देश भर के छात्र इन सेवाओं तक कुशलता से पहुँच बनाने में सक्षम हो। एक एकीकृत मंच छात्रों को अभिलेखों का प्रबंधन करने, त्रुटियों को तुरंत ठीक करने तथा विलंबरहित शैक्षणिक और व्यवसायपरक विकास सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

7.5 आधार आईडी के लिए पंजीकरण की सुविधा:

7.5.1 शिक्षा सहित सुव्यवस्थित सरकारी सेवाओं के लिए देश भर में सभी छात्रों के लिए आधार आईडी पंजीकरण का विस्तार करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य व्यापक कवरेज है जो वर्तमान में 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध है। आधार आईडी विभिन्न शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण पहचान प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, जो आधार से जुड़े एपीएएआर आईडी में विकसित होती है - जो शैक्षिक दस्तावेजों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक मंच है।

7.6 स्कूलों के बुनियादी ढांचे में निवेश:

7.6.1 स्कूल के बुनियादी ढांचे में सतत निवेश एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनी हुई है। जबकि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रगति हुई है, किन्तु प्रयासों में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर केंद्रित निवेश बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करते हैं, एक अनुकूल अधिगम वातावरण को बढ़ावा देते हैं। शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार विशेषत: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में योगदान देता है। अत्याधुनिक सुविधाओं में निवेश करने से अधिगम अनुकूल परिवेश बनता है, जो छात्रों की सहभागिता और उपलब्धि को बढ़ावा देता है।

7.7 शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु एमआईएस

7.7.1 शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना सराहनीय है। इस प्रणाली का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक उच्च शिक्षण मानकों को बनाए रखते हुए सर्वोत्तम पद्धतियों से अवगत रहें। एमआईएस सिस्टम में निरंतर सुधार उपयोगकर्ता की अनुकूलता और डाटा-संचालन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।

8. अन्य विभागों/मंत्रालयों से अपेक्षित सहायता

8.1 विषय:

8.1.1 स्कूल शिक्षा की सुगमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विभागों तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) से महत्वपूर्ण सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। यह गहन अन्वेषण उन विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है जहां शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक सहायता अत्यावश्यक है।

8.2 राज्यों से अपेक्षित आवश्यकता:

8.2.1 गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण: राज्य सरकारों को सुसज्जित कक्षाओं, आधुनिक पुस्तकालयों, उन्नत प्रयोगशालाओं और डिजिटल संसाधनों सहित स्कूल सुविधाओं में निवेश करने और उनमें वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये उन्नयन अधिगम, नवाचार और समग्र छात्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक हैं।

8.2.2 विद्यालयों का एकीकरण: स्कूल एकीकरण के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलन, संसाधन आवंटन को सुव्यवस्थित करके, बेहतर सुविधाएं प्रदान करके और छात्रों के लिए समग्र शैक्षिक अनुभव में सुधार करके शैक्षिक परिणामों को बढ़ाता है।

8.2.3 शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती: छात्रों की आवश्यकताओं और विषय की माँगों के अनुरूप कुशल शिक्षक की तैनाती न्यायसंगत और कुशल शिक्षा का अभिन्न अंग है। राज्यों को शिक्षण मानकों को बढ़ाने और शैक्षिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए इस संबंध में काम करना चाहिए।

8.2.4 विशिष्ट आईडी के माध्यम से छात्रों की ट्रैकिंग: केंद्र सरकार के सहयोग से छात्रों के लिए एक सुदृढ़ विशिष्ट पहचान प्रणाली स्थापित करना छात्रों की शैक्षिक यात्रा के दौरान छात्र डाटा की कुशलतापूर्वक निगरानी और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

8.2.5 डिजिटल शिक्षा रिकॉर्ड्स में विश्वास सृजित करना: राज्य डिजिटल शिक्षा रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने, उनकी प्रामाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें उनकी अखंडता की रक्षा करना और बेहतर स्कूल-टू-वर्क परिवर्तनकारी अवसरों का खुलना शामिल हैं।

8.3 शिक्षा मंत्रालय से अपेक्षित सहयोग (एमओई):

8.3.1 डीओएसईएंडएल एपीएएआर आईडी के सृजन हेतु एसओपी बनाने, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने, प्रवेश पोर्टलों और अनुप्रयोगों को एक संगठित मंच पर एकीकृत करने के संबंध में ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये मंच एक निर्बाध, एकीकृत शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए प्रथाओं, प्रतिक्रिया और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

8.4 निष्कर्षतः, राज्य विभागों और डीओएसईएंडएल के बीच सहयोगात्मक प्रयास भारत के शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। स्कूलों को समेकित करने से संसाधनों का अनुकूलन होता है, तर्कसंगत शिक्षक तैनाती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करती है, और अद्वितीय छात्र पहचान प्रणाली एक अधिक व्यक्तिगत शैक्षिक अनुभव पैदा करती है। शिक्षा मंत्रालय

इस सहयोगी प्रक्रिया का नेतृत्व कर सकता है, जो राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

9. निष्कर्ष

9.1.1 शैक्षिक नवाचार के प्रति डीओएसईएंडएल का समर्पण पहुंच और सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलों में स्पष्ट है। खंड 2.3 में उल्लिखित सहयोगात्मक प्रयास एनईपी 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है। गुणवत्ता अनुकूल वातावरण, स्कूल समेकन और एक विशिष्ट एपीएएआर आईडी के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई समाधान बेहतर पहुंच का लक्ष्य रखते हैं। तर्कसंगत शिक्षक तैनाती और सार्वभौमिक एपीएएआर आईडी के साथ वीएसके का तालमेल एक कुशल सेवा वितरण तंत्र में योगदान देता है। वर्तमान पहलों और सुझाए गए समाधानों को मिलाकर इस सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण का उद्देश्य हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और एक शैक्षिक महाशक्ति के रूप में भारत के विजन को साकार करना है।

9.1.2 आधुनिक विश्व में, तकनीकी समाधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उदाहरण एपीएएआर आईडी का विस्तार है। यह डिजिटल कोष दस्तावेज़ भंडारण को सरल बनाता है और इसमें परीक्षा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की क्षमता है। एपीएएआर आईडी को आधार से जोड़ना डिजिटल शिक्षा रिकॉर्ड में विश्वास पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू कामकाज के लिए अभिन्न अंग है।

9.1.3 मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रस्तुत 'स्कूल शिक्षा की सुगमता' योजना, शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में जटिल चुनौतियों का समाधान करती है। यह नवाचारी प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी शासन प्रथाओं के मिश्रण, शैक्षिक सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर बल देती है। यह कार्य योजना एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का संकेत देती है, जो शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देने और उज्ज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने संबंधी सहयोग को बढ़ावा देती है। व्यापक विचार-विमर्श से प्राप्त जानकारी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है, जो भारत की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति की दिशा में समयबद्ध और महत्वपूर्ण कदम है।

अनुलग्नक I

मुख्य कार्य निष्पादन संकेतक

क्रमांक	संकेतक	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अर्जित किए जाने हेतु लक्ष्यों की समय-सीमा
1	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के छात्र ऑनलाइन स्कूल प्रवेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से **प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं**	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्ष 1) तक 30%, वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्ष 2) तक 60%, और वित्तीय वर्ष 2026-27 (वर्ष 3) तक 100%
2	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के छात्रों ने ऑनलाइन स्कूल प्रवेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से **ट्रांजिशन और संचालन** में सहयोग किया	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्ष 1) तक 30%, वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्ष 2) तक 60%, और वित्तीय वर्ष 2026-27 (वर्ष 3) तक 100%
3	छात्रों के **सभी शैक्षिक रिकॉर्ड** एपीएएआर आईडी के माध्यम से एकीकृत किए गए	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्ष 1) तक 30%, वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्ष 2) तक 60%, और वित्तीय वर्ष 2026-27 (वर्ष 3) तक 100%
4	**सुधार परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम और समय सीमा** अनुमानित तिथियों को रेखांकित करते हुए ऑनलाइन प्रकाशित की गई	वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसे अर्जित किया जाना है
6	समस्त शैक्षिक अभिलेखों का **ऑनलाइन सत्यापन एवं अधिप्रमाणन**	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्ष 1) तक 30%, वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्ष 2) तक 60%, और वित्तीय वर्ष 2026-27 (वर्ष 3) तक 100%

** लक्ष्य प्रामाणिक हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उन्हें समय सीमा से पहले प्राप्त कर सकते हैं*

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चिह्नित किए गए विषयों में सर्वोत्तम पद्धति

असम

→ **मार्कशीट/माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने/पुनः जारी करने का ऑनलाइन प्रावधान:** यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी) के तहत कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के सभी छात्रों के लिए लागू है। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्थानांतरण प्रमाणपत्र में संशोधन का ऑनलाइन प्रावधान भी उपलब्ध है।

→ **'दर्पण':** एएचएसईसी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के प्रवेश की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल 'दर्पण' (https://darpan.ahseconline.in/) संचालन करता है ताकि नजदीकी या किसी प्रसिद्ध वरिष्ठ माध्यमिक संस्थान की 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सके।

गुजरात

→ **छात्र रजिस्ट्री:** वर्ष 2012 से चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम कार्यात्मक है, जो कक्षा 1 से 12 तक के प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट छात्र आईडी प्रदान करता है। छात्र आईडी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं -

- नामांकन और शैक्षणिक डाटा के साथ अंत:संबद्ध
- सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे कि छोड़ने/स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मार्कशीट इत्यादि के लिए अनिवार्य
- स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत
- आईसीडीएस के साथ बैकवर्ड एकीकरण तथा आईटीआई और तृतीयक शिक्षा के साथ फॉरवर्ड एकीकरण प्रगति पर है

→ **सीआरसी और बीआरसी के लिए स्कूल निगरानी ऐप:** ऐप की विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं जैसे -

- फील्ड स्टाफ के लिए समग्र स्कूल निगरानी प्रणाली
- ऑनलाइन टूर डायरी के माध्यम से स्कूल दौरे की समय-सारणी बनाना
- जियो-फेंसिंग और जियो-टैगिंग के माध्यम से स्कूल दौरों को ट्रैक करना

- स्कूलों, छात्र नामांकन और शिक्षकों की संख्या सहित सभी समूहों का विवरण,
- उपस्थिति, गुणोत्सव मूल्यांकन, परिवहन आदि संबंधी डाटा
- डिजिटल स्कूल विजिट और कक्षा अवलोकन फॉर्म के माध्यम से निरीक्षण में सहायता
- समय पर कार्रवाई के लिए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मुद्दों के क्षेत्र से प्रणालीगत वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया

→ **विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके):** वीएसके ने राज्य को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ~11.4 मिलियन छात्रों और ~3.92 लाख शिक्षकों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से बेहतर ट्रैकिंग तंत्र स्थापित करने और डाटा-संचालित इनपुट साझा करने में सक्षम बनाया है।

हरियाणा

पीएम श्री: हरियाणा में पीएम श्री स्कूलों की स्थापना समस्त छात्रों के लिए सभी सुविधाओं और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की परिपूर्णता पर विशेष बल देने के साथ की गई है। 79,894 बच्चे लाभान्वित हुए हैं जिनमें 42% लड़के और 58% लड़कियाँ शामिल हैं। आईसीटी, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ग्रीन स्कूल, व्यावसायिक क्रियाकलाप और चाइल्ड ट्रैकिंग की स्थापना पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। सीएसआर के सहयोग से एसटीईएम प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। कक्षा 9-12 के शिक्षकों को ई-अधिगम टैबलेट प्रदान किए जाते हैं। इंक्यूबेशन केंद्रों और उद्यमिता मैपिंग के साथ व्यावसायिक शिक्षा में 15 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नज़र रखने, रिपोर्टों को आवधिक रूप से साझा करने, छात्र और शिक्षक उपस्थिति की ऑनलाइन निगरानी करने, माता-पिता की भागीदारी बढ़ाने, प्रशिक्षण प्रबंधन और संबंधितों को लाभ के वितरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से प्रभावी स्कूल प्रबंधन के लिए भी वीएसके का उपयोग किया जा रहा है।

प्रवेश एवं कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा पीपीपी (परिवार पहचान पत्र): पीपीपी एमआईएस में आधार और छात्र पंजीकरण संख्या से जुड़ा हुआ है। इस पीपीपी-आधारित एमआईएस में राज्य के सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों के छात्र-स्तरीय डाटा हैं। छात्रों के प्रवेश के लिए पीपीपी का उपयोग निर्बाध प्रवेश को सक्षम बनाता है क्योंकि पीपीपी के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। यह विभाग को इच्छित लाभार्थी से कोई अन्य जानकारी एकत्र किए बिना छात्र स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी

पात्रता की गणना करने में सक्षम बनाता है। पीएफएमएस-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण बिना किसी आवेदन के स्वचालित रूप से किया जाता है क्योंकि सिस्टम छात्रवृत्ति और अन्य लाभों की आवश्यकताओं की पहचान कर सकता है। पीपीपी एकीकरण स्कूल न जाने वाले और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की निगरानी करने में भी समर्थ बनाता है।

ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स: सभी सरकारी प्राथमिक और मिडिल विद्यालयों को पड़ोस के उच्च विद्यालयों के साथ जोड़ा गया है। कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्र एसएलसी को सीधे पड़ोस के उच्च स्कूलों में भेजा जाता है और सभी छात्रों को एमआईएस पर उनके संबंधित स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप परिवर्तन और ड्रॉप-आउट की समस्या में कमी आती है।

सरल: स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) के माध्यम से माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट), कक्षा 12वीं के प्रमाण-पत्र (अंकतालिका), समस्त संबंधित स्कूलों/छात्रों, जिन्होंने बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उनकी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी जारी करता है।

झारखंड

"ई-विद्यावाहिनी": यह एक एकीकृत आईसीटी प्लेटफॉर्म (https://evidyavahini.jharkhand.gov.in/) है जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड को शिक्षा सेवा वितरण और अधिगम के परिणामों की निगरानी, मूल्यांकन और परिवर्तन करने का अधिकार देता है। राज्य की इस डिजिटल पहल ने स्कूल शिक्षा प्रवेश/प्रोन्नति प्रक्रिया को सुगम बना दिया है। यह प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों तक की आवश्यकताओं को पूरा करता है जिससे छात्रों को अपनी शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने के लिए लॉग इन करना सुविधाजनक हो जाता है।

परिणामों के लिए ऑनलाइन पोर्टल: राज्य ने माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा परिणाम ऑनलाइन एक्सेस करने हेतु एक ऑनलाइन सुविधा निर्मित की है। ग्रामीण छात्र साइबर कैफे, मोबाइल फोन और अन्य साधनों से भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। छात्र मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आदि ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि हार्ड कॉपी जारी होने में समय लगता है। इससे प्रवेश की प्रक्रिया आसान हो जाती है।

अंकों/सुधार परीक्षा की संवीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रावधान: राज्य ने अपने अंकों की जांच के

लिए आवेदन करने हेतु एक ऑनलाइन प्रावधान बनाया है और जो लोग जेएसी बोर्ड से सुधार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उत्तीर्ण हुए हैं, वे कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

केरल

स्कूल शिक्षा में स्थानीय स्वशासन का हस्तक्षेप- सर्वत्र केरल के स्कूलों को स्थानीय स्वशासी निकायों (एलएसजीबी) और समुदायों द्वारा समर्थित किया जाता है। वे स्कूल के कामकाज, प्रबंधन में भाग लेते हैं, और स्कूल ब्लॉक, फर्नीचर, शौचालय, आईसीटी प्रयोगशालाओं, खेल के मैदानों, पुस्तकालयों आदि के विस्तार जैसे बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए वित्तीय योगदान भी देते हैं। सभी स्कूलों के बिजली, पानी और इंटरनेट शुल्क भी संबंधित एलएसजीबी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस राशि की प्रतिपूर्ति स्कूलों को आवधिक रूप से की जाती है। आमतौर पर, इन उद्देश्यों के लिए स्थानीय सरकारों द्वारा बड़ी राशि अलग रखी जाती है। प्रत्येक वर्ष जिला पंचायतों द्वारा औसतन 30 से 40 करोड़ रुपये और ग्राम पंचायत द्वारा 1.5 करोड़ रुपये की राशि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए पृथक रखी जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य के समान भाग को भी एलएसजी द्वारा पूरा किया जाता है। स्कूल के कुशल कामकाज में समुदायों की भागीदारी और नामांकित छात्रों को सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए समर्थन का यह मॉडल एक स्वागत योग्य मॉडल है।

शिक्षा हेतु केरल अवसंरचना ढांचा और प्रौद्योगिकी (काईट) (काईट (kerala.gov.in)) केरल की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को उन्नत करने के उद्देश्य से "सार्वजनिक शिक्षा कायाकल्प अभियान" के तहत भौतिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। 4,752 स्कूलों में 45,000 कक्षाओं को उन्नत बुनियादी ढांचे के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक सेवा के साथ हाई-टेक बनाया जाएगा।

संपूर्ण एक स्कूल प्रबंधन प्रणाली परियोजना है जिसे केरल सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्था को स्वचालित करने के लिए लागू किया गया है। 'संपूर्ण' स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य प्रधानाचार्यों, हेड मास्टरों और शिक्षकों को अपने स्कूल और स्कूल के छात्रों की सभी गतिविधियों को आसानी से लागू करने, ट्रैक करने और निगरानी करने की सुविधा प्रदान करना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र तैयार करना, प्रवेश रजिस्टर की प्रतिलिपि बनाना, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट तैयार करना, विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए सूची तैयार करना, एसएसएलसी परीक्षा डाटाबेस तैयार करना, प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, प्रोन्नति सूची तैयार करना आदि जैसी विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं

को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सुगम बनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर में एक समय सारिणी तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर भी एकीकृत किया गया है।

समेथम - केरल स्कूल डेटा बैंक, केआईटीई की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्कूलों, अनुमोदित कक्षाओं, प्रत्येक कक्षा में छात्रों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों (व्यक्तिगत विवरण के बिना) के प्रामाणिक डाटा को साझा करना है। यह केरल स्कूल डाटाबेस पोर्टल अब स्कूलों के लिए उनके विवरणों को सत्यापित करने और पुष्टि हेतु कार्यात्मक है।

मध्य प्रदेश

विमर्श पोर्टल: राज्य ने विभिन्न स्कूल प्रक्रियाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, 'विमर्श' पोर्टल (https://www.vimarsh.mp.gov.in/) बनाया है, जो निम्नलिखित पर वास्तविक समय डाटा प्राप्त करने का समर्थन करता है:

- समग्र नामांकन और ट्रांजिशन को ट्रैक करना
- टीसी/मार्कशीट/माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन
- स्कूल लॉगिन के माध्यम से कक्षा 9 और 11 के लिए ऑनलाइन परिणाम देखना।
- ऑनलाइन पाठ्यपुस्तक वितरण और ट्रैकिंग प्रणाली जिसके माध्यम से ब्लॉकों में आपूर्ति की गई पुस्तकों की संख्या, स्कूलों को कितने ब्लॉक वितरित किए गए हैं, और कितने स्कूलों ने छात्रों को पुस्तकों की आपूर्ति की है, यह ट्रैक किया जा सकता है।
- विभिन्न योजनाओं जैसे नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक योजना, छात्रवृत्ति योजना, सुपर 100 योजना, लैपटॉप वितरण योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा, आदि का विवरण।

दस्तावेजों को जारी करना, सत्यापन और पुन: जारी करना: पूर्ण रूप से ऑनलाइन और विकेन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से, बोर्ड के सभी कार्यालय दस्तावेज जारी कर रहे हैं, जिससे बोर्ड के किसी भी कार्यालय के साथ आवेदक के भौतिक संपर्क के बिना सेवा का त्वरित वितरण हो रहा है। राज्य के सभी सात संभागीय कार्यालय एक ऑनलाइन सेवा के माध्यम से प्रतिरूपित दस्तावेज जारी करने के लिए अधिकृत हैं। बोर्ड लेगेसी डाटा पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में भी कार्यरत है ताकि ऑफ़लाइन डाटा को पूरी तरह से बंद किया जा सके।

मार्कशीट/प्रमाण पत्र में सुधार: स्कूलों के प्रधानाचार्यों/मुख्य शिक्षकों को ऑनलाइन सुधार आवेदनों को अनुमोदित/अस्वीकृत करने हेतु अधिकृत करके इसे विकेन्द्रीकृत बनाया गया है। इसने आवेदनों के प्रसंस्करण समय को काफी कम कर दिया है।

उत्तर प्रदेश

अवसर (अर्जित सत्यापित छात्र उपलब्धि रिकॉर्ड): उत्तर प्रदेश अवसर के विकास में अग्रणी है, जिसमें प्रत्येक छात्र की एक विशिष्ट पहचान और डिजिटल खाता है, जो विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्रों का एकल स्रोत होगा, जो उन्हें अकादमिक या व्यावसायिक विकास (छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा, रोजगार, आदि) के अवसरों को आसानी से खोजने और उनका लाभ उठाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की योग्यता की वैधता सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र प्रदान करके शिक्षार्थियों की पहुंच और प्रत्यय पत्र साझा करने के उनके तरीके में आमूल परिवर्तन लाना है। यह वन-स्टॉप समाधान यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र डाटा को जिम्मेदारी से तैयार किया जाए और सभी स्रोतों में सुसंगत हो। अवसर डिजीलॉकर के साथ निर्बाध रूप से अंतःप्रचालनीय होगा और प्रत्यय पत्रों को जोड़ा जा सकेगा तथा बाहर भेजा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश इस प्रणाली को एक ओपन-सोर्स डिजिटल लोकहित सेवा के रूप में विकसित कर रहा है और आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्रत्यय पत्रों के लिए मानक योजनाएं प्रकाशित कर रहा है जो अन्य राज्यों को आसानी से उन्हें अपनाने और अंतःप्रचालनीयता की अनुमति देगा और इस प्रकार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में छात्रों की आसान गतिशीलता की अनुमति देगा।

ऑपरेशन कायाकल्प- जून 2018 में, माननीय मुख्यमंत्री-उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के 1.33 लाख स्कूलों में स्कूल के बुनियादी ढांचे के नवीकरण तथा बाल और दिव्यांग अनुकूल 19 लक्षित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु 'ऑपरेशन कायाकल्प' शुरू किया था। इन सुविधाओं में मूत्रालयों के साथ-साथ लड़कों और लड़कियों के शौचालय और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए शौचालय, सुरक्षित पेयजल, चलाऊमान/पाइप से पानी की आपूर्ति, हाथ धोने की कई इकाइयां, कार्यात्मक बिजली कनेक्शन, कक्षा में फर्नीचर, कक्षाओं और शौचालयों में टाइलिंग, ब्लैक बोर्ड, चारदीवारी आदि शामिल हैं। बच्चों और दिव्यांगों के अनुकूल 19 आवश्यक अवसरंचनात्मक सुविधाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और उनका विस्तार सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से ब्लॉक स्तर तक एक त्रि-स्तरीय व्यापक निगरानी तंत्र विकसित किया गया है। विस्तार में 32% से 91% तक एक महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हासिल की गई है, और अब तक 1 लाख से अधिक पीएस/ यूपीएस / कम्पोजिट स्कूलों को 4-स्टार और उससे अधिक में अपग्रेड किया गया है।

अनुलग्नक III

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया गया हितधारक परामर्श।

(स्रोत: एमओई द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़े)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जिला स्तर**	राज्य स्तर
1	आंध्र प्रदेश	6-16 अगस्त के बीच आयोजित	
2	असम	जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गई	14 अगस्त को आयोजित
3	चंडीगढ़	10 अगस्त को आयोजित की गई 1 संयुक्त बैठक	
4	डी एंड एन, डी एंड डी	2 और 4 अगस्त को आयोजित 3 बैठकें	7 अगस्त को आयोजित की गई
5	दिल्ली	17, 21 (2), 25 और 26 (2) जुलाई को आयोजित की गई 6 बैठकें	17 जुलाई और 1 अगस्त को आयोजित 2 बैठकें
6	गोवा	10 अगस्त को आयोजित 1 संयुक्त बैठक	
7	गुजरात	28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 23 जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं	1 संयुक्त बैठक आयोजित की गई
8	हरियाणा	3 अगस्त को राज्य और जिले के हितधारकों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई	
9	झारखंड	1 बैठक आयोजित की गई	1 बैठक 11 अगस्त को आयोजित की गई
10	कर्नाटक	3 और 4 अगस्त को कुल 4 बैठकें हुईं	
11	केरल	सभी जिलों में 26 से 29 जुलाई के बीच आयोजित की गई	29 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 5 बैठकें हुईं

12	मध्य प्रदेश	सभी 52 जिलों में परामर्श कार्यशालाएँ 1 अगस्त से 8 अगस्त 23 के बीच आयोजित की गईं।	राज्य स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला 3 अगस्त को आयोजित की गई।
13	महाराष्ट्र	36 जिलों में से 23 जिलों में 2-4 अगस्त को कार्यशालाएं आयोजित की गईं	7 अगस्त को आयोजित किया गया
14	मेघालय	16 और 17 अगस्त को जिलों में 12 बैठकें हुईं	18 अगस्त को आयोजित किया गया
15	मिजोरम	1 से 10 अगस्त के बीच 11 बैठकें हुईं	3 अगस्त को आयोजित किया गया
16	नागालैंड	24 जुलाई से 18 अगस्त के बीच कई बार विचार-विमर्श किया गया	
17	ओडिशा	3 से 5 अगस्त के बीच बैठकें हुई	2 (2), 8 और 9 अगस्त को 4 बैठकें आयोजित
18	पुद्दुचेरी	7 और 8 अगस्त को 2 बैठकें आयोजित	11 और 12 अगस्त को 2 बैठकें आयोजित
19	सिक्किम	29 जुलाई और 4 अगस्त के बीच 6 बैठकें आयोजित की गईं	16 अगस्त को आयोजित की गई
20	तमिलनाडु	9 से 14 अगस्त के बीच कार्यशालाएं आयोजित	16 अगस्त को आयोजित की गई
21	तेलंगाना	14 अगस्त को परामर्श आयोजित	16 अगस्त को आयोजित की गई
22	पश्चिम बंगाल	24 जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं	5 बैठकें आयोजित की गईं

अनुलग्नक IV

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "स्कूल शिक्षा की सुगमता" सेवाओं की स्थिति (विस्तृत संस्करण)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के लिए डिजी लॉकर	पुनर्मूल्यांकन/ सुधार परीक्षा	सरकारी स्कूल में मार्कशीट/माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी करना/पुन: जारी करना/संशोधन करना	विद्यालयों की ट्विनिंग	छात्रों के लिए आधार पंजीकरण की सुविधा	स्कूलों की अवसरंचना में निवेश	शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए एमआईएस
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	✓			✓	✓	✓	✓
2	आंध्र प्रदेश	✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	अरुणाचल प्रदेश				✓		✓	✓
4	असम	✓	✓	✓	✓		✓	✓
5	बिहार	✓		✓	✓	✓	✓	✓
6	चंडीगढ़	✓			✓	✓	✓	✓
7	छत्तीसगढ़	✓		✓		✓	✓	✓
8	दिल्ली		✓	✓	✓	✓	✓	
9	गोवा	✓			✓	✓	✓	✓
10	गुजरात	✓		✓			✓	
11	हरियाणा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	जम्मू कश्मीर		✓	✓		✓	✓	

13	झारखंड	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	कर्नाटक	✓	✓	✓			✓	✓
15	केरल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	लद्दाख		✓	✓		✓	✓	
17	मध्य प्रदेश	✓	✓	✓			✓	
18	महाराष्ट्र	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	मणिपुर	✓		✓		✓	✓	✓
20	मेघालय	✓		✓		✓	✓	✓
21	मिजोरम	✓		✓		✓	✓	✓
22	नागालैंड	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ओडिशा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	पुद्दुचेरी		✓	✓		✓	✓	
25	पंजाब	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	राजस्थान		✓	✓			✓	✓
27	सिक्किम	✓		✓	✓	✓	✓	
28	तमिलनाडु	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	तेलंगाना			✓	✓	✓	✓	✓
30	त्रिपुरा			✓	✓	✓	✓	✓
31	उत्तर प्रदेश	✓	✓	✓		✓	✓	
32	उत्तराखंड	✓	✓	✓		✓	✓	
33	पश्चिम बंगाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
कुल		25	19	29	20	27	33	21

(स्रोत: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एमओई द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े)

अनुलग्नक V

देश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में डिजी लॉकर पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	डिजी लॉकर सुविधा प्रदान करने वाले शैक्षिक बोर्ड
1.	**कक्षा X मार्क शीट**	**25** (सीबीएसई, एनआईओएस, सीआईसीएसई, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मण्डल, तमिलनाडु राज्य बोर्ड, गोवा राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, झारखंड राज्य बोर्ड, यूपी राज्य हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम, गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मिजोरम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, त्रिपुरा राज्य माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड-तुरा, एमपी राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड, नागालैंड स्कूल शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओडिशा, बिहार राज्य स्कूल परीक्षा बोर्ड, हरियाणा राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड)
2.	**कक्षा** XII **मार्क शीट**	**24** (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई), महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, तमिलनाडु राज्य बोर्ड (तमिलनाडु सरकारी परीक्षा निदेशालय), कर्नाटक राज्य बोर्ड (प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा विभाग), गोवा राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, झारखंड राज्य बोर्ड (झारखंड अकादमिक परिषद), यूपी राज्य हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, मिजोरम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, त्रिपुरा राज्य माध्यमिक परीक्षा बोर्ड,

		राजस्थान माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड, तुरा, एमपी राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड, नागालैंड स्कूल शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, पश्चिम बंगाल सरकार, उच्च शिक्षा परिषद्, ओडिशा शिक्षा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड)
3.	**कक्षा** X **उत्तीर्ण प्रमाणपत्र**	**9** (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई), महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, झारखंड राज्य बोर्ड (झारखंड अकादमिक परिषद), गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, मिजोरम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओडिशा)
4	**कक्षा** XII **उत्तीर्ण प्रमाणपत्र**	**11** (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई), महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, झारखंड राज्य बोर्ड (झारखंड अकादमिक परिषद), उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, केरल, गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, मिजोरम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, मणिपुर, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, पश्चिम बंगाल सरकार, उच्च शिक्षा परिषद, ओडिशा शिक्षा)
5	**कक्षा** XII **माइग्रेशन प्रमाणपत्र**	**6** (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई), पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा परिषद, ओडिशा शिक्षा)